19

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

जल शक्ति मंत्रालय

(पेयजल और स्वच्छता विभाग)

अनुदानों की मांगें (2022-23)

[जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

उन्नीसवां प्रतिवेदन

लोकसभा सचिवालय

नई दिल्ली

फ़रवरी, 2023 / माघ,1944 (**शक**)

उन्नीसवां **प्रतिवेदन**

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

जल शक्ति मंत्रालय

(पेयजल और स्वच्छता विभाग)

[जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

10.02.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
10.02.2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

फ़रवरी, 2023 / माघ,1944 **(शक)**

डब्ल्यू. आर. सी. सं. 74

मूल्य : रु.

© 2023 लोक सभा सचिवालय द्वारा

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और _____ द्वारा मुद्रित

विषय सूची

		पृष्ठ
समिति की संरचना	.....	(iii)
प्राक्कथन	.....	(iv)
अध्याय-एक	प्रतिवेदन.....	**1**
अध्याय-दो	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है.....	**23**
अध्याय-तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती	**49**
अध्याय-चार	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है	**50**
अध्याय-पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं	**58**

अनुबंध

एक.	समिति की दिनांक11.01.2023 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश.....	**59**
दो.	समिति के सोलहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण.....	**60**

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2022-23)

संरचना

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल - सभापति

लोक सभा

2. श्री विजय बघेल
3. श्री निहाल चन्द चौहान
4. श्री भागीरथ चौधरी
5. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी
6. इंजीनियर गुमान सिंह दामोर
7. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
8. डॉ. के. जयकुमार
9. श्री धनुष एम. कुमार
10. श्री सुनील कुमार
11. श्री अकबर लोन
12. श्री कुरुवा गोरांतला माधव
13. श्री हँसमुखभाई एस. पटेल
14. श्री संजय काका पाटील
15. श्री पी. रविन्द्रनाथ
16. श्रीमती नुसरत जहां
17. कुमारी अगाथा के. संगमा
18. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
19. श्री चन्दन सिंह
20. श्री डी. के. सुरेश
21. श्री एस. सी. उदासी

राज्य सभा

22. श्री एच डी.देवेगौड़ा
23. श्री अनिल प्रसाद हेगडे
24. डा. किरोड़ी लाल मीणा
25. श्रीमती मौसम नूर
26. श्री शरद पवार
27. श्री वी. विजयेन्द्र प्रसाद
28. श्री अरूण सिंह
29. संत बलबीर सिंह
30. श्री प्रमोद तिवारी
31. **रिक्त**

सचिवालय

1	श्री चन्द्र मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री अजय कुमार सूद	-	निदेशक
3.	श्री राम लाल यादव	-	अपर निदेशक
4.	सुश्री किरण भार्गवा	-	समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) से संबंधित "अनुदानों की मांगें (2022-23)" विषयक समिति के 16वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी यह **उन्नीसवां** प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति का सोलहवां प्रतिवेदन 23 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के उत्तर 20 जुलाई, 2022 को प्राप्त हुए थे।

3. समिति ने 11.01.2023 को हुई अपनी बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

4. समिति के 16वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण अनुबंध- दो में दिया गया है।

नई दिल्ली
07 फ़रवरी, 2023
18 माघ,1944 (शक)

परबतभाई सवाभाई पटेल,
सभापति
जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

अध्याय एक
प्रतिवेदन

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का यह प्रतिवेदन जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों विषयक समिति के सोलहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में है।

2. सोलहवां प्रतिवेदन 23.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और इसी तिथि को राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। प्रतिवेदन में 18 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं।

3. प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई टिप्पण सरकार से प्राप्त हो गए हैं। इनकी जांच की गई है और इन्हें निम्नवत वर्गीकृत किया गया है-

(एक) टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:

क्र. सं. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17 और 18 **कुल :12**

अध्याय -दो

(दो) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:

क्र. सं. शून्य **कुल : शून्य**

अध्याय -तीन

(तीन) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं:

क्र.सं. 1, 5, 7, 12, 13 और 15 **कुल :06**

अध्याय - चार

(चार) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं:

क्र सं . शून्य

कुल :00

अध्याय -पाँच

4. समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में की गई सिफारिशों से संबंधित उत्तर यथाशीघ्र समिति को उपलब्ध कराये जाएं।

5. समिति अब अपनी कुछ टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर विचार करेगी जिन्हें दोहराए जाने अथवा जिन पर टिप्पणियांकिए जाने की आवश्यकता है।

(क) <u>जल जीवन मिशन के बजटीय प्रावधान का विश्लेषण</u>

सिफारिश संख्या 1 (पैरा सं. 2.1 और 2.2)

6. समिति ने नोट किया कि जल जीवन मिशन (जेजेएम) की घोषणा अगस्त, 2019 में की गई थी ताकि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से निश्चित और स्वच्छ जल की आपूर्ति करने में सक्षम बनाया जा सके, जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। मार्च 2022 तक, 19.18 करोड़ में से, 8.96 करोड़ (46.48%) ग्रामीण परिवारों को अपने घरों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो रही थी । समिति यह नोट कर प्रसन्न थी कि हरियाणा, तेलंगाना, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और पुद्दुचेरी की राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने घरों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। समिति इस बात की भी सराहना करती है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों ने 90% से अधिक घरेलू कवरेज प्राप्त कर लिया है और बहुत जल्द उनके शत-प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने की उम्मीद है। तथापि, समिति उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु जैसे बडे राज्यों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की जहां 40% से कम परिवारों को एफएचटीसी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसलिए, समिति ने इच्छा व्यक्त की कि विभाग इन राज्य सरकारों पर निर्धारित लक्ष्य वर्ष को ध्यान में रखते हुए सभी घरों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त कदम उठाने हेतु जोर दे।

समिति ने यह भी पाया कि पेयजल और स्वच्छता विभाग की 91,258 करोड़ रुपये की राशि के आवंटन की मांग की तुलना में वर्ष 2022-23 के लिए केवल 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 53.52% ग्रामीण परिवारों को अभी भी कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) की आवश्यकता है, वर्ष 2022-23 के लिए जेजेएम के तहत आवंटन अपर्याप्त प्रतीत होता है क्योंकि उपलब्ध कराई गई बजटीय सहायता प्रारंभिक मांग की तुलना में 31,258 करोड़ रुपये कम है। इसलिए, समिति ने विभाग से अनुरोध किया कि वह आबंटित निधियों का यथाशीघ्र उपयोग करने का प्रयास करे ताकि उनके पास सं. अ. स्तर पर अतिरिक्त निधियों की मांग करने का पर्याप्त कारण हो।

7. विभाग ने अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"विभाग ने देश भर में 9.08 करोड़ (95%) से अधिक शेष परिवारों (एचएच) वाले 13 प्रमुख राज्यों की पहचान की है और शेष परिवारों के कवरेज को प्राथमिकता देने के लिए उन राज्यों को नियमित रूप से कहा जा रहा है। जेजेएम के तहत प्रगति की समीक्षा करने, सामने जा रही चुनौतियों की पहचान करने, अनुभवों और सर्वोत्तम परिपाटियों को साझा करने आदि के लिए ओडिशा में इन 13 राज्यों के साथ सचिव (डीडीडब्ल्यूएस) स्तर पर हाल ही में एक बैठक भी आयोजित की गई है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच वर्ष 2022-23 के लिए निधि का आवंटन पूरा कर लिया गया है। अब तक, चालू वित्त वर्ष में अर्थात अप्रैल और मई, 2022 में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 5,664.85 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग करने की सूचना है।"'

8. समिति नोट करती है कि विभाग द्वारा प्रस्तुत कार्रवाई उत्तरों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आवंटन पूरा कर लिया गया है। समिति सिफ़ारिश करती है कि विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवंटित निधियां समयबद्ध तरीके से जारी की जाएं ताकि निधियों की कमी के कारण जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत परियोजनाओं की गति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके अलावा, समिति यह पाती है कि आरंभ में विभाग ने जेजेएम के अंतर्गत 91,258 करोड़ रुपये के आवंटन की मांग की थी, हालांकि, वर्ष 2022-23 के लिए केवल 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। समिति यह भी पाती है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अप्रैल-मई 2022 के महीनों में केवल 5,664.85 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया है। समिति का विचार है कि निधियों के उपयोग की इस गति के साथ, विभाग संशोधित अनुमान चरण के दौरान निधियों के अधिक आबंटन की मांग करने की स्थिति में नहीं भी हो सकता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि विभाग को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जोर देकर इस योजना के लाभों के बारे में बताना चाहिए और जेजेएम को ग्रामीण परिवारों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) उपलब्ध कराने के लिए निधियों की सुलभता के अवसर के रूप में मान्यता देनी चाहिए। इसके अलावा, समिति सिफारिश करती है कि विभाग को जल जीवन मिशन के अंतर्गत संशोधित अनुमानों के चरण में आबंटन बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय पर दबाव बनाने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए।

इसके अलावा, समिति पाती है कि ग्रामीण भारत में हर घर में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जेएमएम के तहत निर्धारित लक्षित तिथि 2024 है, जो एकदम निकट है। समिति नोट करती है कि मुख्य रूप से छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घरों को नल जल कनेक्शन (एचएच) उपलब्ध कराने का शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहे हैं। विभाग की स्वयं की स्वीकृति के अनुसार विभाग ने 13 प्रमुख राज्यों की

पहचान की है जहां देश भर में 9.08 करोड़ (95%) से अधिक शेष एचएच हैं। इस संबंध में, विभाग ने सूचित किया है कि हाल ही में ओडिशा में इन 13 राज्यों के साथ सचिव (डीडीडब्ल्यूएस) स्तर पर एक बैठक भी आयोजित की गई है ताकि जेजेएम के तहत प्रगति की समीक्षा की जा सके, चुनौतियों की पहचान की जा सके, अनुभवों और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं इत्यादि को साझा किया जा सके। समिति का सह सुविचारित मत है कि इस प्रकार की बैठकें आयोजित करना केवल योजना के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने और इस कार्य में लगाने की दिशा में एक कदम हो सकता है। तथापि, समिति बैठक के परिणामों और विभिन्न राज्यों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों/अड़चनों को दूर करने के लिए विभाग द्वारा किए गए उपायों से अवगत होना चाहती है। इसके अलावा, समिति का यह सुविचारित मत है कि भूजल की कमी, राज्य के हिस्से और इसकी अनुपलब्धता/विलंब से उपलब्धता के साथ-साथ स्थानीय समुदाय द्वारा योगदान से संबंधित मुद्दों सहित अन्य पणधारकों के साथ संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से परामर्श करके प्रमुख राज्यों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के इष्टतम और अभिनव समाधान खोजने के लिए तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, समिति चाहती है कि निर्धारित लक्ष्य वर्ष को ध्यान में रखते हुए सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को समुचित उपाय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। समिति इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के तीन महीने के भीतर विभाग द्वारा इस संबंध में की-गई-कार्रवाई से अवगत होना चाहती है।

(ख) <u>जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत निधियों का कम उपयोग</u>

सिफारिश संख्या 2 (पैरा 2.3)

9. समिति ने नोट किया कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत, ब.अ. चरण में 50,011/- करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसे सं. अ. चरण में घटाकर 45,011/- करोड़ रुपये कर दिया गया था, जबकि वास्तविक व्यय केवल 28,238/- करोड़ रुपये था। राज्य-वार वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण करते हुए, समिति पाती है कि केवल तीन राज्यों अर्थात हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय ने निधियों के केन्द्रीय आबंटन का शत प्रतिशत उपयोग किया है, जबकि 11 राज्यों अर्थात त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, केरल, सिक्किम, नागालैंड, असम, ओडिशा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और मिजोरम ने केवल 50% से 75% का उपयोग किया है। इसके अलावा, समिति यह नोटकर आश्चर्यचकित थी कि कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे बडे राज्यों ने केन्द्रीय आबंटन के 25% से कम का उपयोग किया है। समिति

निधियों के कम उपयोग को नोटकर निराश थी जो स्पष्ट रूप से वित्तीय विवेक और राजकोषीय अनुशासन की कमी को दर्शाता है, इस प्रकार, समग्र रूप से कार्यक्रम के कार्यान्वयन और निगरानी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यह निस्संदेह लक्षित लाभार्थियों को उनके घरों में सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की पहुंच से वंचित करता है। इसलिए, समिति ने निधि की उपयोगिता से संबंधित ऐसे निराशाजनक कार्यनिष्पादन पर विचार किया और विभाग से इस योजना के तहत बेहतर कार्यनिष्पादन प्राप्त करने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान उपयुक्त सुधारात्मक उपाय शुरू करने और समिति को इस संबंध में की-गई-कार्रवाई से अवगत कराने का आग्रह किया ।

10. विभाग ने अपनी की-गई-कार्रवाई के उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"मिशन की घोषणा के बाद से, 6.40 (33.40%) करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इस प्रकार, अब तक, देश भर के 19.14 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 9.63 करोड़ (50.30%) परिवारों के पास पीने योग्य नल जल की आपूर्ति होने की सूचना है। गोवा, हरियाणा और तेलंगाना राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नागर हवेली और दमन व दीव और पुद्दुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों ने सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल की आपूर्ति उपलब्ध करा दी है। आज तक, देश भर के 108 जिलों और 1.53 लाख गांवों के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को अपने घरों में नल जल मिलना शुरू हो गया है। अब तक उपलब्ध कराए गए नल जल कनेक्शनों का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

(संख्या लाख में)

समय/वर्ष	नल जल कनेक्शन	समग्र नल जल कनेक्शन
15.08.2019	3,23.63	3,23.63
2019-20	82.62	4,06.25
2020-21	3,22.62	7,28.87
2021-22	2,08.36	9,37.23
2022-23*	26.91	9,63.52

*06.06.2022 की स्थिति के अनुसार

हालांकि, राज्य सरकारों ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ असमान भौगोलिक भूभाग, बिखरी हुई ग्रामीण बसावटों, भूजल, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों, संवैधानिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में देरी और कोविड महामारी में

लॉकडाउन की विस्तारित अवधि, मूल्य वृद्धि / मुद्रास्फीति इत्यादि जैसी बाधाओं को इंगित किया है, जिससे कार्यक्रम के तहत कार्यान्वयन और निधि की उपयोगिता में विलंब हो रहा है।

इसके अलावा, राज्य द्वारा समतुल्य निधि जारी करने में विलम्ब और उनकी अनुपलब्धता के कारण भी निधि के उपयोग में विलम्ब हुआ। इस मुद्दे को हल करने के लिए, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठकें, क्षेत्र का दौरा आदि सहित कई बैठकें समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आयोजित की जा रही हैं, जिनमें उन्हें समयबद्ध तरीके से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम की योजना बनाने और कार्यान्वयन में तेजी लाने की सलाह दी जाती है।

वर्ष 2019-20 में, मिशन के लिए 10,000.66 करोड़ रुपये आवंटित किए गए और पूरी राशि का उपयोग किया गया था। इसी तरह, वर्ष 2020-21 में, 11,000 करोड़ रुपये आवंटित और उपयोग किए गए। जल जीवन मिशन के लिए 2021-22 में केंद्रीय बजट में 45,011 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है और 40,125.64 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था। 2022-23 में, मिशन के कार्यान्वयन के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

वर्ष 2022-23 में आयोजित प्रमुख समीक्षा बैठकों का विवरण निम्नवत है:

(एक) फरवरी, 2022 में जल जीवन मिशन पर बजट के बाद चर्चा और वेबिनार;

(दो) राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपालों के साथ संयुक्त समीक्षा बैठकें। हाल ही में, अप्रैल 2022 में जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश के साथ आयोजित;

(तीन) फरवरी से अप्रैल, 2022 के दौरान गुवाहाटी, बेंगलुरु, कोलकाता और जयपुर में राज्यों के ग्रामीण जलापूर्ति प्रभारी मंत्रियों का सम्मेलन;

(चार) जमीनी स्तर पर जेजेएम योजना और कार्यान्वयन, प्रमुख मुद्दों, चुनौतियों को समझने, कार्यान्वयन में तेजी लाने के उपायों पर सुझाव देने के साथ-साथ अच्छी परिपाटियों का दस्तावेजीकरण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 110 से अधिक दौरे किए गए हैं;

(पाँच) जून, 2022 में ओडिशा में समीक्षा बैठकें।"

11. विभाग ने की-गई-कार्रवाई उत्तर में बताया है कि देश भर में 19.14 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 9.63 करोड़ (50.30 प्रतिशत) परिवारों के घरों में पेयजल आपूर्ति होने की सूचना है। कार्यान्वयन की गति को ध्यान में रखते हुए, समिति वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों में एफएचटीसी के वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में आशंकित है। समिति ने नोट किया था कि निधियों का कम इस्तेमाल स्पष्ट रूप से वित्तीय विवेक और राजकोषीय अनुशासन की कमी को दर्शाता है। इसके अलावा, निधि उपयोग से संबंधित निराशाजनक प्रदर्शन पर विचार करते हुए, समिति ने विभाग से योजना के तहत बेहतर प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान उपयुक्त सुधारात्मक उपाय शुरू करने और इस संबंध में की-गई-कार्रवाई से समिति को अवगत कराने का आग्रह किया था। समिति पाती है कि विभाग ने की-गई-कार्रवाई उत्तर में केवल राज्यों द्वारा सामना की जा रही बाधाओं का उल्लेख किया है जबकि सुधारात्मक उपायों या दौरों/बैठकों के परिणामों का कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। समिति का विचार है कि केवल अड़चनें बताने से निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि विभाग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चिन्हित की गई बाधाओं को ध्यान में रखते हुए और योजना के कार्यान्वयन में आने वाले व्यावहारिक विचारों/कठिनाइयों की पहचान करके और तदनुसार दिशानिर्देशों में संशोधन करके योजना की व्यापक समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। समिति चाहती है कि प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर विभाग द्वारा इस संबंध में की-गई-कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

(ग) <u>जेजेएम के तहत वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) को शीघ्र अंतिम रूप देना</u>

सिफारिश सं.3 (पैरा 2.4)

12. समिति ने नोट किया कि जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक वर्ष अप्रैल -मई तक अपनी वार्षिक कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देना होता है। तत्पश्चात्, वर्ष भर में समय-समय पर निधियां जारी की जाती हैं और जल जीवन मिशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन वार्षिक कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित क्षेत्र दौरे और समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। समिति ने नोट किया कि जल जीवन मिशन (जेजेएम) ने वर्ष 2024 तक देश भर में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) उपलब्ध कराने के अपने कार्यान्वयन के तीसरे वर्ष में प्रवेश कर लिया है। समिति का यह सुविचारित मत था कि चूंकि वार्षिक कार्य योजना एक वार्षिक प्रक्रिया है, इसलिए निधियों के बेहतर उपयोग और निर्धारित समय-सीमा के अनुसार कार्यों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सक्षम बनाने के लिए उन्हें बिना किसी विलंब के समय पर पूरा किया जाना चाहिए।

इसलिए, समिति ने सिफारिश की कि विभाग को सभी राज्यों द्वारा अधिमानतः प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत तक वार्षिक कार्य योजनाओं को शीघ्र अंतिम रूप देना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके।

13. विभाग ने अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्य योजना (एएपी) (2022-23) को अंतिम रूप देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चर्चा 23 मार्च, 2022 से 27 अप्रैल, 2022 तक मार्च में ही शुरू हो गई थी।" "

14. समिति नोट करती है कि वार्षिक कार्य योजना (एएपी) (2022-23) **को अंतिम रूप देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चर्चा** 23 **मार्च से** 27 **अप्रैल**, 2022 **तक की गई थी। तथापि**, **समिति का यह सुविचारित मत है कि वार्षिक कार्य योजना तैयार करने की वार्षिक प्रक्रिया में एएपी को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष मार्च तक पूरी कर ली जानी चाहिए**, **ताकि नए वित्त वर्ष के प्रारंभ होने से पहले निधियां आवंटित और स्वीकृत की जा सके। इसके अलावा**, **समिति सिफारिश करती है कि नए वित्त वर्ष (वि.व) में निधियां यथाशीघ्र जारी की जाएं ताकि जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन/निष्पादन की प्रक्रिया नए वित्त वर्ष में जारी रह सके/शुरू हो सके और निधियों की कमी के कारण मिशन रुके नहीं।**

(घ) <u>ग्राम कार्य योजना (वीएपी) और ग्राम जल और स्वच्छता समितियां (वीडब्लूएससी)</u>

सिफारिश संख्या 4 (पैरा सं. 2.5)

15. समिति ने यह पाया कि जेजेएम के तहत ग्राम पंचायत या ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) आयोजना प्रक्रिया का एक अभिन्न भागीदार है। गांव द्वारा तैयार की गई योजना, जिसे आमतौर पर ग्राम कार्य योजना (वीएपी) के रूप में जाना जाता है, भागीदारी दृष्टिकोण पर आधारित है। वीएपी का एकत्रीकरण जिला स्तर पर किया जाता है, और एक जिला कार्य योजना तैयार की जाती है और बदले में इन्हें फिर से राज्य स्तर पर एकत्रित किया जाता है। बहु-ग्राम योजना को गांवों के परामर्श से राज्य स्तर पर डिजाइन और योजनाबद्ध किया जा रहा है। इसी प्रकार, ग्राम पंचायत या इसकी उप-समिति/प्रयोक्ता समूह अर्थात् ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समिति को ग्राम जल आपूर्ति प्रणाली की योजना बनाने, कार्यान्वित करने, प्रबंधित करने, प्रचालन करने और बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, समिति ने नोट किया कि देश में 6,04,631 लाख ग्रामीण गांव हैं, जिनमें से 4,68,366 लाख (77%) ग्रामीण गांवों ने

वीडब्ल्यूएससी का गठन किया है और 3,79,280 लाख (62%) ग्रामीण गांवों ने 09.02.2022 की स्थिति के अनुसार ग्राम कार्य योजनाएं तैयार की हैं। समिति ने अपनी चिंता व्यक्त की कि मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में वीएपी/वीडब्ल्यूएससी तैयार करने/स्थापित करने में बहुत धीमी प्रगति हुई है। समिति का यह सुविचारित मत था कि वीएपी और वीडब्ल्यूएससी की तैयारी/गठन बहुत महत्वपूर्ण है और जब तक इन्हें पूरा नहीं किया जाता/स्थापित नहीं किया जाता है और जब तक कि इन्हें पूरे देश में कार्यात्मक नहीं बनाया जाता है, तब तक लक्ष्य को समय-सीमा के भीतर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, वीएपी और वीडब्ल्यूएससी योजना की निगरानी और कार्यान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जल जीवन मिशन की सफलता की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इसलिए, समिति ने विभाग से इस मामले को गंभीरता से लेने और जल्द-से-जल्द वीडब्ल्यूएससी और वीएपी के गठन/तैयारी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से एक समयबद्ध योजना तैयार करने और समिति को इस संबंध में उठाए गए कदमों से भी अवगत कराने की सिफारिश की ।

16. विभाग ने अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वार्षिक कार्य योजना चर्चा और क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान वीडब्ल्यूएससी के गठन और वीएपी की तैयारी में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है। 06.06.2022 तक, 4.96 लाख गांवों (82%) में वीडब्ल्यूएससी का गठन किया गया है और 4.06 लाख गांवों (67%) में वीएपी तैयार की गई हैं। पीछे रह गए राज्यों से वीडब्ल्यूएससी के गठन और वीएपी की तैयारी के लिए अपेक्षित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।"

17. समिति ग्राम जल और स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) के गठन में तेजी लाने और ग्राम कार्य योजनाओं (वीएपी) को तैयार करने के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों को नोट करती है। फिर भी, दिनांक 6.06.2022 तक, 82% गांवों में ही वीडब्ल्यूएससी का गठन किया गया है और केवल 67% गांवों द्वारा वीएपी तैयार किए गए हैं। इसलिए, समिति यह दोहराती है कि वीडब्ल्यूएससी और वीएपी जल जीवन मिशन (जेजेएम) में सफलता प्राप्त करने की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और वीडब्ल्यूएससी और वीएपी के गठन / तैयारी के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से एक समयबद्ध योजना तैयार की जाए। इसके अलावा, समिति का यह सुविचारित मत है कि संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और पंचायती राज मंत्रालय के परामर्श से पंचायत सम्मेलनों और पंचायत पुरस्कारों जैसे मंचों का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों के बीच वीडब्ल्यूएससी और वीएपी के महत्व को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए किया जाए।

(ङ) <u>स्थानीय समुदायों से *प्रयोक्ता प्रभार* शुल्क को माफ करना</u>

सिफारिश संख्या 5 (पैरा सं. 2.6)

18. समिति ने नोट किया कि जेजेएम के मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत, ग्राम पंचायत और अथवा वीडब्ल्यूएससी/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली ग्राम पाइप जलापूर्ति अवसंरचना और इससे संबंधित संसाधनों के विकास के लिए, स्थानीय समुदायों के पहाड़ी/वनाच्छादित क्षेत्रों, पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों और 50% से अधिक अनुसूचित जातियों और/या अनुसूचित जनजातियों की आबादी वाले गांवों में पूंजीगत लागत के लिए 5% अंशदान नकद और या सामान या श्रम में करना है और अन्य गांवों के मामले में इसी तरह पूंजीगत लागत का 10% योगदान करना है। इसके अलावा जल आपूर्ति योजना शुरू करने के लिए कम से कम 80 प्रतिशत परिवार से सामुदायिक अंशदान की रजामंदी पूर्वापेक्षित है। तथापि, ग्राम पंचायत और/या इनकी उप-समितियां उन गरीब, दुर्बल, दिव्यांगजन या विधवा को व्यक्तिगत अंशदान करने से छूट देने पर विचार कर सकती हैं, जिनकी आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं है। इस संबंध में, समिति ने पाया कि पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में पूंजीगत लागत के लिए अनिवार्य सामुदायिक अंशदान जैसी कोई शर्त नहीं थी। समिति का सुविचारित मत है कि चूंकि ग्रामीण आबादी को पानी उपलब्ध कराना न केवल एक बुनियादी आवश्यकता है बल्कि भारत जैसे कल्याणकारी राज्य का एक अभिन्न कार्य भी है, इसलिए समुदाय द्वारा कोई भी अनिवार्य योगदान शायद हर घर को पानी कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयासों को कमजोर करेगा। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण जनता की खराब आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए समिति सिफारिश करती है कि विभाग को जल आपूर्ति अवसंरचना और इससे संबंधित संसाधन के विकास के लिए पूंजीगत लागत के सामुदायिक अंशदान को माफ करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। समिति चाहती है कि इस संबंध में विभाग द्वारा उठाए गए कदमों /पहलों से अवगत कराया जाए।

19. विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार बताया:-

"जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत ग्रामीण लोगों के बीच 'स्वामित्व की भावना' पैदा करने के लिए,पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, वन/पहाड़ी क्षेत्रों, अनुसूचितजाति/अनुसूचितजनजाति बहुल गांवों के मामले में गांव के बुनियादी ढांचे की लागत के 5% की सीमा तक और शेष क्षेत्रों में 10% सामुदायिक योगदान का प्रावधान है।

जेजेएम के तहत, समुदाय की इच्छा और गांव के कम से कम 80% परिवारों का योगदान जलापूर्तियो योजना शुरू करने के लिए एक पूर्वापेक्षा है।सामुदायिक योगदान नकद और /यथा वस्तु और/या श्रम के रूप में हो सकता है।इसके अलावा, ग्राम पंचायत और / या इसकी उप-समिति, अर्थात ग्राम जल और स्वच्छता समिति/ पानी समिति/उपयोगकर्ता समूह, आदि गरीब, दुर्बल, दिव्यांगता बिना किसी स्थिर आय के स्रोत वाली विधवा को व्यक्तिगत योगदान को छूट दे सकते हैं।

इसके अलावा, योजना के सफल संचालन के बाद, समुदाय को गांव के बुनियादी ढांचे की लागत के 10% के साथ पुरस्कृत करने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, जो बड़े ब्रेकडाउन आदि के कारण किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए आवर्ती निधि के रूप में काम करेगा ताकि पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।"

20. समिति इस बात पर ध्यान देती है कि ग्रामीण जनता के बीच 'स्वामित्व की भावना' पैदा करने के लिए सामुदायिक योगदान का प्रावधान है और गांव के बुनियादी ढांचे की लागत के 10प्रतिशत के साथ समुदाय को पुरस्कृत करने का प्रावधान है, जो अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए रिवॉल्विंग फंड के रूप में काम करेगा। तथापि, समिति का सुविचारित मत है कि चूंकि ग्रामीण आबादी को जल उपलब्ध कराना न केवल एक बुनियादी आवश्यकता है, बल्कि भारत जैसे कल्याणकारी देश का एक अभिन्न कार्य भी है, इसलिए समुदाय द्वारा कोई भी अनिवार्य योगदान संभवत: प्रत्येक घर को जल कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयासों को कमजोर करेगा। इसके अलावा, विशेष रूप से हाल ही में कोविड महामारी के कारण ग्रामीण जनता की खराब आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि विभाग को जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे और संबंधित स्रोत विकास की पूंजी लागत के लिए सामुदायिक योगदान को माफ करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। समिति चाहती है कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने के भीतर समिति को विभाग द्वारा उठाए गए कदमों/पहलों के बारे में जानकारी दी जाए।

च. <u>जापानी इंसेफेलाइटिस/एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित आकांक्षी जिलों का कवरेज</u>

सिफारिश सं. 6 (पैरा 2.7)

21. समिति ने नोट किया है कि नीति आयोग ने निम्न मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) वाले 117 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित किया है। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 117 आकांक्षी जिलों के केवल 39.78% घरों में ही नल के पानी के कनेक्शन हैं। जबकि हरियाणा, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों ने अपने 85% से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन के साथ आकांक्षी जिलों में कवर

किया है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, केरल और असम जैसे राज्यो में 30% से कम घरेलू कवरेज है। समिति ने यह भी पाया है कि 5 राज्यों अर्थात असम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 61 जिले जापानी इंसेफेलाइटिस/एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (जेई/एईएस) से प्रभावित हैं, जो स्वास्थ्य केलिए गंभीर खतरा है यहमुख्यतः बच्चों और युवा वयस्कों को प्रभावित करता है जिसके कारण गंभीर रुग्णता और मृत्यु हो सकती है। अभी तक इन जेई/एईएस से प्रभावित जिलों में केवल 40.43% घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इस प्रकार, निस्संदेह स्वच्छ जल आपूर्ति के दायरे में जेई-एईएस से प्रभावित आकांक्षी जिलों में और अधिक परिवारों को कवर करने की तत्काल आवश्यकता है। समिति ने पाया कि पिछड़े हुए जेई-एईएस से प्रभावित आकांक्षी जिलों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति में अंतर को पाटना और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता के मामले में उन्हें देश के अन्य जिलों के बराबर लाना "समय की मांग" है। इसलिए समिति, विभाग को सभी लक्षित आकांक्षी जिलों और नल जल कनेक्शन वाले जेई/एईएस से प्रभावित जिलों के कवरेज के लिए संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने की सिफारिश करती है।

22. विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार बताया है:-

"”जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में आकांक्षी जिलों में नलजल कनेक्शन उपलब्ध कराना प्राथमिकता क्षेत्र है।राज्यों से दिसंबर, 2022 तक आकांक्षी जिले, जल गुणवत्ता प्रभावित और जेई-एईएस प्रभावित जिलों में 100% नलजल कनेक्शन में तेजी लाने का आग्रह किया गया है।

मिशन के तहत, इन क्षेत्रों में कवरेज को प्राथमिकता देने के लिए निधि आवंटित करते समय भारी धातुओं सहित रासायनिक संदूषित पदार्थों से प्रभावित बसावटों में रहने वाली आबादी के लिए 10% भारांक महत्व दिया गया है।इसके अलावा, कवरेज घटक के तहत जेजेएम निधि के अलावा 61 जेई/एईएस प्रभावित प्राथमिकता जिलों वाले 5 राज्यों नामत: असम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए वार्षिक आवंटन का 0.5% निर्धारित किया गया है।

राज्यों की रिपोर्ट के अनुसार, 06.06.2022 तक, आकांक्षी और जेई-एईएस प्रभावित प्राथमिकता वाले जिलों में क्रमशः 45.83% और 45.26% परिवारों को नलजल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया है।

इस विभाग ने दिनांक 13.04.2022 के पत्र के माध्यम से आकांक्षी जिलों के केंद्रीय प्रभारी अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे जिला दौरे और समीक्षा बैठकों के दौरान आकांक्षी जिलों में जेजेएम के कार्यान्वयन की समीक्षा करें और जल जीवन मिशन के

कार्यान्वयन के लिए समीक्षा किए जाने वाले प्रमुख पहलुओं की एक सांकेतिक सूची भी साझा करें।

इस विभाग ने दिनांक 29.04.2022 के पत्र के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, आकांक्षी और जेई-एईएस प्रभावित जिलों को 31 दिसंबर 2022 तक कवर करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है।

विभाग समय-समय पर राज्यों के साथ जेई-एईएस प्रभावित प्राथमिकता वाले जिलों में उपलब्ध कराए गए नलजल कनेक्शन की स्थिति की समीक्षा सम्मेलन, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक, क्षेत्र का दौरा आदि सहित विभिन्न बैठकों के माध्यम से करता रहा है।राज्यों को योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने की सलाह दी गई है ताकि जेई-एईएस प्रभावित प्राथमिकता वाले जिलों में दिसंबर, 2022 तक शेष परिवारों को नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।"

23. **समिति, आकांक्षी जिले, जल गुणवत्ता प्रभावित और जेई-एईएस प्रभावित जिलों में दिसंबर, 2022 तक जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों को नोट करती है। समिति नोट करती है कि 06.06.2022 की स्थिति के अनुसार आकांक्षी और जेई-एईएस प्रभावित प्राथमिकता वाले जिलों में क्रमशः 45.83% और 45.26% परिवारों में नल जल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल प्रदान किया गया है। समिति को यह आशंका है कि क्या विभाग दिसंबर, 2022 तक वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम होगा। समिति यह दोहराना चाहती है कि विभाग राज्य सरकारों के परामर्श से सभी लक्षित आकांक्षी जिलों और जेई/एईएस जिलों में नल जल के कनेक्शनों के माध्यम से पूरे वर्ष सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वास्तविक समयबद्ध कार्यवाही योग्य योजना तैयार करे।**

छ <u>जेजेएम के तहत पाइप लाइन बिछाने के बाद भी सड़क मरम्मत कार्य अधूरा</u>

सिफारिश सं. 7 (पैरा संख्या 2.8)

24. समिति यह जानकर प्रसन्न थी कि जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के तहत ग्रामीण जनता को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश में बड़े पैमाने पर पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। तथापि, समिति यह नोट करके चिंतित है कि कई राज्यों में पानी की पाइपलाइन बिछाने के बाद, संबंधित प्राधिकारियों की लापरवाही और उदासीन रवैये के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों सही रूप से ठीक या उनकी मरम्मत नहीं की जा रही है। समिति ने नोट किया कि क्षतिग्रस्त सड़कों को अक्सर मिट्टी से भर दिया जाता है या उन्हें उनके मूल स्वरूप में वापस लाने के बजाय खुला रखा जाता है। यह न केवल देखने में भद्दा लगता है

बल्कि यात्रियों के लिए बाधाएं/परेशानियां भी पैदा करता है। ग्रामीणों को दिन-प्रतिदिन आवागमन की कठिनाई से लेकर दुर्घटनाओं के संभावित खतरे, विशेषकर रात में, जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए, समिति विभाग से इस मामले को गंभीरता से लेने और संबंधित राज्यों/प्राधिकारियों को परामर्श जारी करने का आग्रह करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ठेकेदार/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पाइप लाइन डालने के तुरंत बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की जाए।

25. विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार बताया है:-

"ग्रामीणों को किसी भी तरह की कठिनाई से बचाने के लिए, विभाग इस मुद्दे को राज्यों के साथ हर स्तर पर उठा रहा है। इसके अलावा, राज्यों को दिनांक 22.11.2021 के पत्र और दिनांक 17.03.2022 और 27.05.2022 के अनुस्मारक के माध्यम से सड़कों/राजमार्गों जैसे बुनियादी ढांचे को न्यूनतम नुकसान के साथ ग्रामीण जल योजनाओं को शुरू करने और जलापूर्ति प्रणालियों के लिए पाइपलाइन बिछाने के दौरान हुए नुकसान के मामले में सड़कों/राजमार्गों को तुरंत बहाल करने की सलाह दी गई है।"

26. समिति राज्यों को जारी किए गए पत्र पर ध्यान देती है जिसमें बुनियादी ढांचे को न्यूनतम नुकसान के साथ ग्रामीण जल योजनाओं को शुरू करने और जल आपूर्ति प्रणालियों के लिए पाइपलाइन बिछाते समय किए गए नुकसान की स्थिति में सड़कों / राजमार्गों को तुरंत बहाल करने की सलाह दी गई है। तथापि, समिति विभाग के ध्यान में पुन: यह बात लाना चाहती है कि कई राज्यों में अक्सर पानी की पाइपलाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की बहाली या मरम्मत नहीं की जाती है और उन्हें मिट्टी से भर दिया जाता है या खुला रखा जाता है। इसलिए, समिति दोहराती है कि विभाग इस मामले पर गंभीरता से ध्यान दे और संबंधित राज्यों/प्राधिकारियों को सलाह जारी करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रामीणों द्वारा दैनिक आधार पर प्रयोग की जाने वाली ग्राम सड़कों सहित क्षतिग्रस्त सड़कों की ठेकेदार/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पाइपलाइन बिछाने के तुरंत बाद मरम्मत की जाए ताकि ग्रामीणों को रोजमर्रा की कठिनाई से बचाया जा सके।

ज <u>दूषित जल आपूर्ति वाले ग्रामीण क्षेत्र</u>

सिफारिश सं. 8 (पैरा संख्या 2.9)

27. समिति ने नोट किया कि देश में अभी भी 35370 ग्रामीण बस्तियां हैं जो जल प्रदूषण से प्रभावित हैं। इनमें से 1792 बस्तियां आर्सेनिक, 2064 फ्लोराइड, 20185 आयरन, 10356 लवणता, 765 नाइट्रेट और 208 भारी धातुओं से प्रभावित हैं। विभाग द्वारा उपलब्ध

कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 35,370 गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में से केवल 2017 बस्तियों को सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) के साथ कवर किया गया है, जो कि कुल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के 6% से भी कम है। समिति ने नोट किया कि यह बहुत ही दयनीय स्थिति को दर्शाता है और इन क्षेत्रों के लोग दूषित पानी पीने के लिए विवश हैं जो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। समिति सीडब्ल्यूपीपी की स्थापना की प्रगति से भी संतुष्ट नहीं थी क्योंकि यह सभी गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है, हालांकि सीडब्ल्यूपीपी में 32,271 (24.02.21 की स्थिति के अनुसार) से 26,198 (21.02.2022 कीस्थितिकेअनुसार) की काफी कमी आई है। इस प्रकार, समिति ने नोट किया कि योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और सभी संदूषक प्रभावित क्षेत्रों में सीडब्ल्यूपीपी की समय पर स्थापना सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है, जब तक कि पाइप से पानी की आपूर्ति हर ग्रामीण घर/बस्तियों तक नहीं पहुंच जाती। इसलिए, समिति दृढ़ता से अनुशंसा करती है कि विभाग को राज्य सरकारों के परामर्श से सभी क्षेत्रों में निर्धारित समय सीमा के भीतर सीडब्ल्यूपीपी स्थापित करने के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार करनी चाहिए। जब तक ऐसे सभी निवासियों को सीडब्ल्यूपीपी कवरेज के तहत लाया जाता है, तब तक सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल मोबाइल वाटर वैन/टैंकरों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है या निर्दिष्ट स्थानों पर छोटे जल शोधन डिस्पेंसर स्थापित किए जा सकते हैं।

28. विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार बताया है:-

"जल राज्य का विषय होने के कारण, भारत सरकार नियमित रूप से राज्यों से जलगुणवत्ता प्रभावित बसावटों के कवरेज को प्राथमिकता देने का अनुरोध कर रही है। राज्यों को एक बार फिर सलाह दी गई है कि वे दिसंबर, 2022 तक गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के सभी परिवारों को नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाएं। इसके अलावा, राज्य द्वारा रिपोर्ट की गई प्रगति की भी ऑनलाइन निगरानी प्रणाली जेजेएम-आईएमआईएस के माध्यम से दैनिक आधार पर निगरानी की जाती है।

जेजेएम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) लगाने का प्रावधान भी किया गया है ताकि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नियमित जलापूर्ति योजना शुरू होने तक अंतरिम उपाय के रूप में ऐसे गांवों/बसावटों में रहनेवाले प्रत्येक परिवार की पीने और खाना पकाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए 8-10 एलपीसीडी पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जा सके।

जैसा कि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, पिछले चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पेयजल स्रोतों में जलगुणवत्ता के मुद्दों वाली बसावटों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	**प्रभावित बसावटों की संख्या**
01.04.2019 तक	57,539
01.04.2020 तक	54,166
01.04.2021 तक	36,054
01.04.2022 तक	27,160
06.06.2022 तक	26,930

29. **समिति नोट करती है कि की-गई-कार्रवाई उत्तरों में, विभाग ने सूचित किया है कि राज्यों को सलाह दी गई है कि वे दिसम्बर, 2022 तक गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में सभी घरों को नल कनेक्शनों के माध्यम से सुरक्षित पेयजल का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों के कार्यान्वयन में तेजी लाएं। समिति आशा करती है कि वांछित लक्ष्य को लक्षित तिथि तक प्राप्त कर लिया जाएगा। तथापि, समिति, विभाग के ध्यान में यह बात लाना चाहती है कि समिति की इस सिफारिश पर कोई उत्तर नहीं दिया गया है कि जब तक संदूषित जल से प्रभावित पर्यावासों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित नहीं हो जाते, तब तक सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल ले जाने वाले मोबाइल वैनों/टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाए अथवा निर्धारित स्थानों पर छोटे जल शोधन वितरक स्थापित किए जाएं।**

समिति विभाग से यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ जुड़ने का आग्रह करती है कि लक्षित तिथि के अनुसार जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को पानी की सुनिश्चित और नियमित आपूर्ति के साथ कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान किए जाएं। समिति ने विभाग से इन बसावटों में समुदाय को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सीडब्ल्यूपीपी कवरेज के दायरे में लाने के प्रयासों को जारी रखने के

लिए भी कहा ताकि मानव पूंजी और उनके जीवन की गुणवत्ता पर दूषित पानी के प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त किया जा सके। समिति चाहती है कि विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने के भीतर समिति को प्रस्तुत की जाए।

झ <u>सामाजिक लेखापरीक्षा प्रणाली</u>

सिफारिश सं.11 (पैरा 2.12)

30. समिति ने महसूस किया कि एसबीएम (जी) के कामकाज के संबंध में उचित निगरानी और जमीनी स्तर पर पारदर्शिता बढ़ाने वाले किसी भी तंत्र को प्रोत्साहित करने और गंभीरता से लागू करने की आवश्यकता है। इस संबंध में समिति ने नोट किया है कि दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में छह माह में एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। ग्राम पंचायतें कार्यक्रम की सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने में सहायता करेंगी और इस अनुसूची का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिले और ब्लॉक जिम्मेदार होंगे। समिति को इस बात से अवगत कराया गया था कि समय-समय पर जारी की गई सामाजिक लेखा परीक्षा पर नियमावली को एसबीएम (जी) के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करते समय संदर्भित किया जाना है। इसके अलावा, समिति को यह भी बताया गया है कि मणिपुर, मेघालय, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों ने कुछ गांवों में सामाजिक लेखा परीक्षा की है। तथापि, विभाग ने अन्य राज्यों द्वारा अक्षरशः सामाजिक लेखापरीक्षा न कराए जाने के कारणों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। समिति का सुविचारित मत था कि हर छह महीने में एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा किए जाने संबंधी दिशा-निर्देशों का ऐसा गैर अनुपालन योजना के उस महत्वपूर्ण पहलू की घोर अवहेलना के समान है जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। इसलिए, समिति ने सिफारिश की है कि यह उचित समय है कि सभी ग्राम पंचायत स्तरों पर एक नियमित और आवधिक सामाजिक लेखापरीक्षाप्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और योजना की बेहतर पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए इसके निष्कर्षों को नियमित रूप से सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में लाया जाए। समिति ने विभाग से आग्रह किया कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित अंतराल पर सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक सलाह जारी करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन हो।

31. विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार बताया है:-

"पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) द्वारा 14 जुलाई, 2022 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह जारी की गई है, जिसमें कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] की सामाजिक लेखापरीक्षा

आयोजित करने के महत्व पर जोर दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि एसबीएम(जी) दिशा निर्देशों में निर्धारित समय-सारणी का पालन करते हुए सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) में एसबीएम (जी) की सामाजिक लेखा-परीक्षा आयोजित की जाए और योजना की बेहतर पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए निष्कर्षों को जीपी कार्यालय में जनता के लिए प्रदर्शित किया जाए।"

32. समिति पाती है कि कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम (जी)) की सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के महत्व पर जोर देते हुए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह जारी की गई है। समिति दोहराती है कि एसबीएम (जी) की सफलता सुनिश्चित करने में सामाजिक लेखा परीक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह जारी की जानी चाहिए। समिति आगे नोट करती है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि योजना की बेहतर पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षों को ग्राम पंचायत (जीपी) कार्यालय में जनता के लिए प्रदर्शित किया जाए। समिति का सुविचारित मत है कि पारदर्शिता बढ़ाने और लक्षित तिथि तक एसबीएम (जी) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक उपकरण के रूप में सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए वातावरण और स्वीकार्यता सृजित करने के लिए, सामाजिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के निष्कर्ष एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) मंच पर उपलब्ध कराए जाएं।

ञ. <u>तृतीय पक्ष निरीक्षण</u>

सिफारिश सं.12 (पैरा सं. 2.13)

33. समिति ने नोट किया कि जेजेएम के अंतर्गत, राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) ने कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए तृतीय पक्ष सत्यापन एजेंसियों को पैनल में रखा है। विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से, समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 14 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने तीसरे पक्ष की निरीक्षण एजेंसियों के पैनल के विवरण की सूचना नहीं दी है। इसके अलावा, समिति ने नोट किया कि राज्यों द्वारा नियुक्त निरीक्षण एजेंसियों की संख्या राज्यों के आकार की तुलना में बहुत कम है। अत:, समिति, विभाग से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिक से अधिक तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों को सूचीबद्ध करने का निर्देश देने का आग्रह करती है, ताकि एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्यों की सत्यता का पता लगाया जा सके। समिति इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा डेटा की गैर-रिपोर्टिंग के कारणों से भी अवगत होना चाहेगी।

34. विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"जेजेएम के तहत सृजित परिसंपत्तियों के तीसरे पक्ष के निरीक्षण के लिए प्रावधान किए गए हैं। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशनों को तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों को पैनल में शामिल करने का अधिकार दिया गया है। अबतक, सूचित किए गए अनुसार,28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 147 तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों को कार्य सौंपा गया है।"

35. **समिति नोट करती है कि की गई कार्रवाई उत्तरों में, विभाग तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों को पैनल में शामिल करने के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा डेटा की रिपोर्टिंग नहीं किए जाने के कारणों से समिति को अवगत कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। समिति का विचार है कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्यों की सत्यता का पता लगाने और एसबीएम (जी) के तहत बनाए गए बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और स्थिरता सुनिश्चित करने में तीसरे पक्ष के निरीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। समिति यह भी नोट करती है कि 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 147 तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों को लगाया गया है। तथापि, समिति पहले के विचार को दोहराती है कि देश के आकार और कार्यक्रम के पैमाने को देखते हुए तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों की संख्या बहुत कम है। अतः, समिति आग्रह करती है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेषज्ञता और विश्वसनीय साख के क्षेत्र में पिछले अनुभव वाली अतिरिक्त तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाए।**

ट. <u>राजस्थान के गंगानगर जिले में पानी के दूषित होने का मामला</u>

सिफारिश सं. 13 (पैरा सं. 2.14)

36. समिति ने नोट किया कि पानी का दूषित होना एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि इसका सीधा संबंध प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के स्वास्थ्य से है। समस्या बेहद चिंताजनक है क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में कैंसर के मामलों की संख्या खतरनाक रूप से बढ़ रही है। समिति ने अपनी पिछली रिपोर्टों में विशेष रूप से राजस्थान के गंगानगर जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों में जल प्रदूषण के मुद्दे को भी रेखांकित किया और ग्रामीण बस्तियों में स्वच्छ एवं पीने योग्य पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर जल शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के लिए विभाग से राजस्थान राज्य सरकार के साथ मामला उठाने का आग्रह किया। तथापि, समिति इस बात को लेकर चिंतित थी कि गंगानगर जिले में प्रभावित लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। अतः समिति इस बात को दोहराती है कि विभाग को इस मामले को राजस्थान सरकार के साथ

उच्चतम स्तर पर उठाना चाहिए, ताकि गंगानगर जिले के निवासियों को जल्द से जल्द स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

37. विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"राजस्थान राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, गंगा नगर जिले के 2,834 गांवों के लिए नहर आधारित जलस्रोतों का उपयोग जलापूर्ति योजनाओं के लिए किया गया है और 1,076 गांवों को गंगा नहर प्रणाली से जल स्रोतों के साथ जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से कवर किया गया है। गांवों में आपूर्ति करने से पहले नहर आधारित प्रणाली से सादे पानी को शुद्ध और क्लोरीन युक्त किया जाता है। इसके अलावा, सादे पानी के नमूनों का समय-समय पर रासायनिक परीक्षण किया जाता है और नवंबर, 2021 में किए गए नवीनतम रासायनिक परीक्षण के परिणामों से पता चला है कि रासायनिक संदूषक अनुमेय सीमा के अंतर्गत हैं।

इसके अलावा, इस विभाग ने पंजाब राज्य, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग से गंगा नहर में औद्योगिक कचरे के बहिस्राव से बचने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।"

38. समिति ने नोट किया कि गंगानगर जिले में जल प्रदूषण के मुद्दे का समाधान करने के लिए विभाग के प्रयासों को नोट किया और पंजाब राज्य, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर विभाग) से गंगा नहर में औद्योगिक कचरे के बहिस्त्राव से बचने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया। हालांकि, समिति चिंतित है कि विभाग के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस प्रभाव नहीं देखा गया है। समिति यह बताना चाहती है कि लोगों को हो रही समस्याओं की गंभीरता को देखते हुए, संबंधित हितधारकों से सिर्फ अनुरोध करना गंगानगर जिले में जल के दूषित होने के मुद्दे को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अतः, समिति सिफारिश करती है कि विभाग को पंजाब में इंदिरा गांधी नहर के किनारे औद्योगिक प्रदूषण और कार्यरत एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (ईटीपी) के कामकाज के मामले को उच्चतम स्तर पर पंजाब राज्य सरकार, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय भूजल बोर्ड सहित जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के साथ उठाना चाहिए। समिति चाहती है ईटीपी की संख्या, कुल क्षमता, उपचारित की तुलना में प्रदूषित जल की कुल मात्रा जैसे ब्यौरे से अवगत कराया जाए।

इसके अलावा, समिति नोट करती है कि विभाग ने उल्लेख किया है कि समय-समय पर कच्चे पानी के नमूनों का रासायनिक परीक्षण किया जाता है और नवंबर, 2021 में किए गए

नवीनतम रासायनिक परीक्षण के परिणामों से पता चला है कि रासायनिक संदूषक अनुमेय सीमा के अंतर्गत हैं। समिति यह जानना चाहती है कि क्या नमूनों का परीक्षण भारी धातुओं और रोगजनक/बैक्टीरिया आदि की उपस्थिति के लिए किया गया है और नवीनतम परीक्षण के ब्यौरे समिति के साथ साझा किए जाएं। समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के तीन माह के भीतर उसे विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

ठ. <u>एसबीएम (जी) के तहत यूनिट सहायता में वृद्धि</u>

सिफारिश सं. 15 (पैरा सं. 2.16)

39. समिति ने नोट किया कि वर्तमान में एसबीएम के तहत (जी)शौचालयों के निर्माण के लिए गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के चिन्हित परिवारों को 12,000/- रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। समिति का यह सुविचारित मत था कि मौजूदा प्रति यूनिट सहायता पूरी तरहसे अपर्याप्त है और शौचालयों के निर्माण की वास्तविक लागत के करीब कहीं नहीं है, भले ही कोई लाभार्थी अपनी मेहनत से उसे बनाए। समिति का मत था कि शौचालयों की निर्माण सामग्री की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहन में समानुपातिक वृद्धि की जाए। अतः, समिति ने विभाग से यह पुरजोर सिफारिश की थी कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर(एपीएल) के चिन्हित परिवारों के लिए शौचालयों के निर्माण हेतु प्रति यूनिट सहायता को 12,000/- रुपए की मौजूदा दर से बढ़ाकर 20,000/- रुपए करने की व्यवहार्यता पर विचार करे।

40. विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) के निर्माण के लिए 12000/- रुपये की प्रोत्साहन राशि में से पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों और हिमालयी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली केंद्रीय हिस्सेदारी राशि 10,800 रुपये और शेष राज्यों में यह 7,200 रुपये है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों को न्यूनतम हिस्सा 1,200 रुपये और शेष राज्यों को न्यूनतम हिस्सा 4,800 रुपये प्रदान करना होगा। राज्य अतिरिक्त धनराशि प्रदान करके उच्च राज्य हिस्सा निधि प्रदान कर सकते हैं। शौचालयों के स्वामित्व और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लाभार्थियों को अपना हिस्सा जोड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।"

41. समिति ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] के तहत शौचालयों के निर्माण के लिए प्रति यूनिट वित्तीय सहायता बढ़ाने की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए विभाग से पुरजोर सिफारिश की थी। समिति की गई कार्रवाई उत्तरों में परिलक्षित विभाग के इस लापरवाह दृष्टिकोण को नोट करती है कि राज्य अतिरिक्त धन प्रदान करके उच्च राज्य अंश निधि प्रदान कर सकते हैं और लाभार्थियों को अपना हिस्सा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समिति इस तथ्य को उजागर करना चाहती है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] सरकार का अग्रणी कार्यक्रम है और व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) एसबीएम (जी) -दो के तहत ओडीएफ 2.0 (खुले शौच मुक्त 2.0) के ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है।

एसबीएम (जी) के तहत आईएचएचएल के विशिष्ट महत्व को देखते हुए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि विभाग को इस मुद्दे की फिर से जांच करनी चाहिए और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आईएचएचएल के निर्माण के लिए कुल प्रोत्साहन राशि में केंद्रीय अंश राशि बढ़ाने पर विचार करना चाहिए ताकि यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसरण के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करे । अतः, समिति, इस बात को दोहराती है कि विभाग ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और गरीबी रेखा से ऊपर चिन्हित परिवारों के लिए शौचालयों हेतु प्रति यूनिट सहायता को मौजूदा 12,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की व्यवहार्यता पर विचार करे।

अध्याय –दो
टिप्पणियां /सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश सं. 2 (पैरा सं. 2.3)

<u>जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत निधियों का कम उपयोग</u>

समिति नोट करती है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत, ब.अ. के चरण में 50,011/- करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसे सं. अ. के चरण में घटाकर 45,011/- करोड़ रुपये कर दिया गया था, जबकि वास्तविक व्यय केवल 28,238/- करोड़ रुपये था। राज्यवार वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण करते हुए, समिति पाती है कि केवल तीन राज्यों अर्थात हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय ने निधियों के केन्द्रीय आबंटन का शत प्रतिशत का उपयोग किया है, जबकि 11 राज्यों अर्थात त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, केरल, सिक्किम, नागालैंड, असम, ओडिशा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और मिजोरम ने केवल 50% से 75% का उपयोग किया है। इसके अलावा, समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे बडे राज्यों ने केन्द्रीय आबंटन के 25% से कम का उपयोग किया है। समिति निधियों के कम उपयोग को जानकर निराश है जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि वित्तीय विवेक और राजकोषीय अनुशासन की कमी रही है, इस प्रकार, समग्र रूप से कार्यक्रम के कार्यान्वयन और निगरानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह निस्संदेह लक्षित लाभार्थियों को उनके घरों में सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की पहुंच से वंचित करता है। इसलिए, समिति के निधि उपयोग से संबंधित ऐसे निराशाजनक निष्पादन को ध्यान में रखते हुए विभाग से इस योजना के तहत बेहतर कार्य निष्पादन प्राप्त करने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान उपयुक्त सुधारात्मक उपाय शुरू करने और समिति को इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराने का आग्रह करती है।

<u>सरकार का उत्तर</u>

मिशन की घोषणा के बाद से, 6.40 (33.40%) करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, अबतक, देश भर के 19.14 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 9.63 करोड़ (50.30%) परिवारों के पास पीने योग्य नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। गोवा, हरियाणा और तेलंगाना राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा व नागर हवेली और दमण व दीव और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों ने सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल की आपूर्ति उपलब्ध करा दी गई है। आज तक, देश भर के 108 जिलों और 1.53 लाख गांवों के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को अपने घरों में नल जल मिलना शुरू हो गया है। अबतक उपलब्ध कराए गए नल जल कनेक्शनों का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

(संख्या लाख में)

समय/वर्ष	नल जल कनेक्शन	समग्र नल जल कनेक्शन
15.08.2019	3,23.63	3,23.63
2019-20	82.62	4,06.25
2020-21	3,22.62	7,28.87
2021-22	2,08.36	9,37.23
2022-23*	26.91	9,63.52

*06.06.2022 की स्थिति के अनुसार

हालांकि, राज्य सरकारों ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ असमान भौगोलिक इलाके, बिखरी हुई ग्रामीण बसावटों, भूजल की कमी, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों, संवैधानिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में देरी और कोविड महामारी में लॉकडाउन की विस्तारित अवधि, मूल्य वृद्धि / मुद्रास्फीति इत्यादि जैसी बाधाओं को इंगित किया है, जिससे कार्यक्रम के तहत कार्यान्वयन और निधि उपयोग में देरी हो रही है।

इसके अलावा, राज्य द्वारा समतुल्य निधि जारी करने में विलम्ब और उनकी अनुपलब्धता ने भी निधि के उपयोग में विलम्ब किया। इस मुद्दे को हल करने के लिए, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, वीडियो सम्मेलनों के माध्यम से समीक्षा बैठकें, क्षेत्र का दौरा, आदि सहित कई बैठकें समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आयोजित की जा रही हैं, जिसमें उन्हें समयबद्ध तरीके से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम की योजना बनाने और कार्यान्वयन में तेजी लाने की सलाह दी जाती है।

2019-20 में, मिशन के लिए 10,000.66 करोड़ रुपये आवंटित किए गए और पूरी राशि का उपयोग किया गया। इसी तरह, 2020-21 में, 11,000 करोड़ रुपये आवंटित और उपयोग किए गए। जल जीवन मिशन के लिए 2021-22 में केंद्रीय बजट में 45,011 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है और 40,125.64 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था। 2022-23 में, मिशन के कार्यान्वयन के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

2022-23 में आयोजित प्रमुख समीक्षा बैठकों का ब्यौरा निम्नवत है:

एक. फरवरी, 2022 में जल जीवन मिशन पर बजट के बाद चर्चा और वेबिनार;

दो. राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपालों के साथ संयुक्त समीक्षा बैठकें। हाल ही में, अप्रैल 2022 में जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश के साथ आयोजित;

तीन. फरवरी से अप्रैल, 2022 के दौरान गुवाहाटी, बेंगलुरु, कोलकाता और जयपुर में राज्यों के ग्रामीण जलापूर्ति प्रभारी मंत्रियों का सम्मेलन;

चार. जमीनी स्तर पर जेजेएम योजना और कार्यान्वयन, प्रमुख मुद्दों, चुनौतियों को समझने, कार्यान्वयन में तेजी लाने के उपायों पर सुझाव देने के साथ-साथ अच्छी परिपाटियों का दस्तावेजीकरण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 110 से अधिक दौरे किए गए हैं;

पाँच. जून, 2022 में ओडिशा में समीक्षा बैठकें।

(का.ज्ञा.सं.एच-11013/3/2022-समन्वय/संसद.दिनांक:20.07.2022)

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा सं. 11 देखें)

सिफारिश सं. 3 (पैरा सं. 2.4)

जेजेएम के तहत वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) को शीघ्र अंतिम रूप देना

2.4 समिति नोट करती है कि जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक वर्ष अप्रैल -मई तक अपनी वार्षिक कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देना होता है। तत्पश्चात्, वर्ष भर में समय-समय पर निधियां जारी की जाती हैं और जल जीवन मिशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन वार्षिक कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित क्षेत्र दौरे और समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। समिति नोट करती है कि जल जीवन मिशन (जेजेएम) ने 2024 तक देश भर में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करने के अपने कार्यान्वयन के तीसरे वर्ष में प्रवेश कर लिया है। समिति का यह सुविचारित मत है कि चूंकि वार्षिक कार्य योजना एक वार्षिक प्रक्रिया है, इसलिए निधियों के बेहतर उपयोग और निर्धारित समय-सीमा के अनुसार कार्यों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सक्षम बनाने के लिए उन्हें बिना किसी विलंब के समय पर पूरा किया जाना चाहिए। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग को सभी राज्यों द्वारा अधिमानतः प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत तक वार्षिक कार्य योजनाओं को शीघ्र अंतिम रूप देना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार का उत्तर

जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्य योजना (एएपी) (2022-23) को अंतिम रूप देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चर्चा 23 मार्च 2022 से 27 अप्रैल 2022 तक मार्च में ही शुरू हो गई थी।

(का.ज्ञा.सं.एच-11013/3/2022-समन्वय/संसद.दिनांक:20.07.2022)

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा सं. 14 देखें)

सिफारिश सं. 4 (पैरा सं. 2.5)

<u>ग्राम कार्य योजना(वीएपी) और ग्राम जल और स्वच्छता समितियां(वीडब्लूएससी)</u>

समिति पाती है कि जेजेएम ग्राम पंचायत या ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) के तहत योजना प्रक्रिया में एक अभिन्न भागीदार है। गांव द्वारा तैयार की गई योजना, जिसे आमतौर पर ग्राम कार्य योजना (वीएपी) के रूप में जाना जाता है, भागीदारी दृष्टिकोण पर आधारित है। वीएपी का एकत्रीकरण जिला स्तर पर किया जाता है, और एक जिला कार्य योजना तैयार की जाती है और बदले में इन्हें फिर से राज्य स्तर पर एकत्रित किया जाता है। बहु-ग्राम योजना को गांवों के परामर्श से राज्य स्तर पर डिजाइन और योजनाबद्ध किया जा रहा है। इसी प्रकार, ग्राम पंचायत या इसकी उप समिति उप-समिति/प्रयोक्ता समूह अर्थात् ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समिति को ग्राम जल आपूर्ति प्रणाली की योजना बनाने, कार्यान्वित करने, प्रबंधित करने, प्रचालन करने और बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, समिति ने नोट किया है कि देश में 6,04,631 लाख ग्रामीण गांव हैं, जिनमें से 4,68,366 लाख (77%) ग्रामीण गांवों ने वीडब्ल्यूएससी का गठन किया है और 3,79,280 लाख (62%) ग्रामीण गांवों ने 09.02.2022 की स्थिति के अनुसार ग्राम कार्य योजनाएं तैयार की हैं। समिति अपनी चिंता व्यक्त करती है कि मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में वीएपी/वीडब्ल्यूएससी स्थापित करने में बहुत खराब प्रगति हुई है। समिति का सुविचारित मत है कि वीएपी और वीडब्ल्यूएससी की तैयारी/गठन बहुत महत्वपूर्ण है और जब तक इन्हें पूरा नहीं किया जाता/स्थापित नहीं किया जाता है और जब तक पूरे देश में पूरा/स्थापित नहीं किया जाता और कार्यात्मक नहीं बनाया जाता तब तक लक्ष्य को समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, वीएपी और वीडब्ल्यूएससी योजना की निगरानी और कार्यान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जल जीवन मिशन की सफलता में महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इसलिए, समिति विभाग से इस मामले को गंभीरता से लेने और जल्द से जल्द राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से वीडब्ल्यूएससी और वीएपी के गठन/तैयारी के लिए एक समयबद्ध योजना तैयार करने और उठाए गए कदमों से समिति को अवगत कराने की सिफारिश करती है।

<u>सरकार का उत्तर</u>

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वार्षिक कार्य योजना चर्चा और क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान वीडब्ल्यूएससी के गठन और वीएपी की तैयारी में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है। 06.06.2022 तक, 4.96 लाख गांवों (82%) में वीडब्ल्यूएससी का गठन किया गया है और

4.06 लाख गांवों (67%) में वीएपी तैयार की गई हैं। पीछे रह गए राज्यों से वीडब्ल्यूएससी के गठन और वीएपी की तैयारी के लिए अपेक्षित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

(का.ज्ञा.सं.एच-11013/3/2022-समन्वय/संसद.दिनांक: 20.07.2022)

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा सं. 17 देखें**)**

सिफारिश सं. 6 (पैरा सं. 2.7)

जापानी इंसेफेलाइटिस/एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोमसे प्रभावित आकांक्षी जिलों का कवरेज

समिति नोट करती है कि नीति आयोग ने कम मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) वाले 117 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित किया है। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 117 आकांक्षी जिलों के केवल 39.78% घरों में ही नल के पानी के कनेक्शन हैं। जबकि हरियाणा, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों ने अपने 85% से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन के साथ आकांक्षी जिलों में कवर किया है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, केरल और असम जैसे राज्यो में 30% से कम घरेलू कवरेज है। समिति यह भी पाती है कि 5 राज्यों अर्थात असम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 61 जिले जापानी इंसेफेलाइटिस/एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (जेई/एईएस) से प्रभावित हैं, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है यह मुख्यतः बच्चों और युवा वयस्कों को प्रभावित करता है जिसके कारण गंभीर रुग्णता और मृत्यु हो सकती है। अभी तक इन जेई/एईएस से प्रभावित जिलों में केवल 40.43% घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इस प्रकार, निस्संदेह स्वच्छ जल आपूर्ति के दायरे में जेई-एईएस से प्रभावित आकांक्षी जिलों में औरअधिक परिवारों को कवर करने की तत्काल आवश्यकता है। पिछड़े हुए जेई-एईएस से प्रभावित आकांक्षी जिलों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति में अंतर को पाटना और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता के मामले में उन्हें देश के अन्य जिलों के बराबर लाना समय की मांग है। इसलिए समिति, विभाग को सभी लक्षित

आकांक्षी जिलों और नल जल कनेक्शन वाले जेई/एईएस से प्रभावित जिलों के कवरेज के लिए संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने की सिफारिश करती है।

सरकार का उत्तर

जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में आकांक्षी जिलों में नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराना प्राथमिकता क्षेत्र है। राज्यों से दिसंबर, 2022 तक आकांक्षी जिले, जल गुणवत्ता प्रभावित और जेई-एईएस प्रभावित जिलों में 100% नल जल कनेक्शन में तेजी लाने का आग्रह किया गया है।

मिशन के तहत, इन क्षेत्रों में कवरेज को प्राथमिकता देने के लिए निधि आवंटित करते समय भारी धातुओं सहित रासायनिक संदूषित पदार्थों से प्रभावित बसावटों में रहने वाली आबादी के लिए 10% भारांक दिया गया है। इसके अलावा, कवरेज घटक के तहत जेजेएम निधि के अलावा 61 जेई/एईएस प्रभावित प्राथमिकता जिलों वाले 5 राज्यों नामत: असम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए वार्षिक आवंटन का 0.5% निर्धारित किया गया है।

राज्यों की रिपोर्ट के अनुसार, 06.06.2022 तक, आकांक्षी और जेई-एईएस प्रभावित प्राथमिकता वाले जिलों में क्रमशः 45.83% और 45.26% परिवारों को नल जल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया है।

इस विभाग ने दिनांक 13.04.2022 के पत्र के माध्यम से आकांक्षी जिलों के केंद्रीय प्रभारी अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे जिला दौरे और समीक्षा बैठकों के दौरान आकांक्षी जिलों में जेजेएम के कार्यान्वयन की समीक्षा करें और जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए समीक्षा किए जाने वाले प्रमुख पहलुओं की एक सांकेतिक सूची भी साझा करें।

इस विभाग ने दिनांक 29.04.2022 के पत्र के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जलगुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, आकांक्षी और जेई-एईएस प्रभावित जिलों को 31

दिसंबर 2022 तक कवर करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है।

विभाग समय-समय पर राज्यों के साथ जेई-एईएस प्रभावित प्राथमिकता वाले जिलों में उपलब्ध कराए गए नल जल कनेक्शन की स्थिति की समीक्षा सम्मेलन, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक, क्षेत्र का दौरा आदि सहित विभिन्न् बैठकों के माध्यम से करता रहा है। राज्यों को योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने की सलाह दी गई है ताकि जेई-एईएस प्रभावित प्राथमिकता वाले जिलों में दिसंबर, 2022 तक शेष परिवारों को नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(का.ज्ञा.सं.एच-11013/3/2022-समन्वय/संसद दिनांक:20.07.2022)

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा संख्या 23 देखें)

सिफारिश सं. 8 (पैरा सं. 2.9)

<u>दूषित जल आपूर्ति वाले ग्रामीण क्षेत्र</u>

समिति नोट करती है कि देश में अभी भी 35370 ग्रामीण बस्तियां हैं जो जल प्रदूषण से प्रभावित हैं। इनमें से 1792 बस्तियां आर्सेनिक, 2064 फ्लोराइड, 20185 आयरन, 10356 लवणता, 765 नाइट्रेट और 208 भारी धातुओं से प्रभावित हैं। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 35,370 गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में से केवल 2017 बस्तियों को सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) के साथ कवर किया गया है, जो कि कुल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के 6% से भी कम है। यह बहुत ही दयनीय स्थिति को दर्शाता है और इन क्षेत्रों के लोग दूषित पानी पीने के लिए विवश हैं जो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। समिति सीडब्ल्यूपीपी की स्थापना की प्रगति से भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि यह सभी गुणवत्ता प्रभावित

बस्तियों में बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है, हालांकि सीडब्ल्यूपीपी में 32,271 (24.02.21 की स्थिति के अनुसार) से 26,198 (21.02.2022 की स्थिति के अनुसार) की काफी कमी आई है। इस प्रकार, योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और सभी दूषित प्रभावित क्षेत्रों में सीडब्ल्यूपीपी की समय पर स्थापना सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है, जब तक कि पाइप से पानी की आपूर्ति हर ग्रामीण घर/बस्तियों तक नहीं पहुंच जाती। इसलिए, समिति दृढ़ता से अनुशंसा करती है कि विभाग को राज्य सरकारों के परामर्श से सभी क्षेत्रों में निर्धारित समय सीमा के भीतर सीडब्ल्यूपीपी स्थापित करने के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार करनी चाहिए। जब तक ऐसे सभी निवासियों को सीडब्ल्यूपीपी कवरेज के तहत लाया जाता है, तब तक सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल मोबाइल वाटर वैन/टैंकरों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है या निर्दिष्ट स्थानों पर छोटे जल शोधन डिस्पेंसर स्थापित किए जा सकते हैं।

सरकार का उत्तर

जल राज्य का विषय होने के कारण, भारत सरकार नियमित रूप से राज्यों से जलगुणवत्ता प्रभावित बसावटों के कवरेज को प्राथमिकता देने का अनुरोध कर रही है। राज्यों को एक बार फिर सलाह दी गई है कि वे दिसंबर, 2022 तक गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के सभी परिवारों को नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाएं। इसके अलावा, राज्य द्वारा रिपोर्ट की गई प्रगति की भी ऑनलाइन निगरानी प्रणाली जेजेएम-आईएमआईएस के माध्यम से दैनिक आधार पर निगरानी की जाती है।

जेजेएम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) लगाने का प्रावधान भी किया गया है ताकि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नियमित जलापूर्ति योजना शुरू होने तक अंतरिम उपाय के रूप में ऐसे

गांवों/बसावटों में रहनेवाले प्रत्येक परिवार की पीने और खाना पकाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए 8-10 एलपीसीडी पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जा सके।

जैसा कि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, पिछले चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पेयजल स्रोतों में जलगुणवत्ता के मुद्दों वाली बसावटों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रभावित बसावटों की संख्या
01.04.2019तक	57,539
01.04.2020तक	54,166
01.04.2021तक	36,054
01.04.2022तक	27,160
06.06.2022तक	26,930

(का.ज्ञा.सं.एच-11013/3/2022-समन्वय/संसद दिनांक: 20.07.2022)

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा संख्या 29 देखें)

सिफारिश संख्या 9 (पैरा संख्या 2.10)

<u>जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं</u>

समिति नोट करती है कि जल परीक्षण प्रयोगशालाएं पेयजल आपूर्ति संयंत्रों के कामकाज के न्नयन और सुधारतथाउनकेसुदृढ़ीकरण को सक्षमबनानेकेअलावा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में घरों में गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति की उचित निगरानी में सहायता और सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विभाग की सूचना के अनुसार, अब तक, विभिन्न स्तरों पर 2021 पेयजल गुणवत्ता

परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं अर्थात राज्य स्तर पर 28, जिला स्तर पर 659, ब्लॉक स्तर पर 89, उप-मंडल स्तर पर 1181 और 64 मोबाइल प्रयोगशालाएँ हैं। हालांकि, आंकड़ों की संवीक्षाकरनेपर, समिति ने पाया कि पिछले दो वर्षों के दौरान जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या में 10% से अधिक की कमी आई है। समिति इस बात से परेशान है कि पूरे देश में केवल छह राज्यों गुजरात, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, पंजाब, तमिलनाडु और त्रिपुरा में ब्लॉक स्तर पर जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। समिति ने अपनी रिपोर्टों में ग्रामीण आबादी को गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अधिक से अधिक जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की आवश्यकता पर लगातार बल दिया है। हालांकि, समिति इस बात से हैरान है कि पिछले दो वर्षों में जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की संख्या बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। समिति परीक्षण प्रयोगशालाओं में कमी के पीछे के कारण को समझने में असमर्थ है, जबकि पानी के संदूषित होने कीसमस्याबढ़तीजारही है क्योंकि इसने अप्रत्यक्ष रूप से देश के ग्रामीण आर्थिक विकास को प्रभावित किया है। इसलिए, समिति इस मुद्दे को अत्यंत तत्परता से संबोधित करते हुए युद्ध स्तर पर देश भर में जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को बढ़ाने की पुरजोर सिफारिश करती है।

<u>सरकार का उत्तर</u>

पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, राज्य ही पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन करते हैं। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इन प्रयोगशालाओं के कामकाज की समीक्षा करते हैं और अद्यतन आंकड़ों के आधार पर नवीनतम आंकड़े सूचित किए जा रहे हैं। सूचित किए गए अनुसार, आज की तारीख में, देश में विभिन्न स्तरों अर्थात राज्य, जिला, उपमंडल और/या ब्लॉकस्तर पर 2,043 प्रयोगशालाएं हैं।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि सभी जिलों में जिलास्तरीय प्रयोगशाला होनी चाहिए, बड़े राज्यों में, क्षेत्रीय स्तर पर, जिलास्तर की प्रयोगशाला

को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में राज्यस्तरीय प्रयोगशाला में अपग्रेड किया जाना चाहिए तथा राज्य में पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के मौजूदा नेटवर्क की हो नह चाहिए और क्षेत्रीय स्तर, जिलास्तर और ब्लॉक/उप-मंडल स्तर पर अतिरिक्त प्रयोगशालाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी की स्थापना/तलाश कर के राज्य में प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सभी पेयजल स्रोतों का रासायनिक संदूषण के लिए एक बार और बैक्टीरियोलॉजिकल संदूषण के लिए दो बार परीक्षण किया जाए।

इसके अलावा, विभिन्न हित धारकों के परामर्श से 'पेयजल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण संरचना' तैयार की गई है और पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण और प्रयोगशालाओं के संस्थागत ढांचे के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को तकनीकी सहायता प्रदान करने; आवश्यक बुनियादी ढाँचा, श्रमबल/विशेषज्ञ, उपकरण, कर्मचारी योग्यता और अनुभव; प्रयोगशाला कर्मियों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां; प्रयोगशाला अंतराल मूल्यांकन और सुधार योजना; एनएबीएल प्रत्यायन/मान्यता प्रक्रिया आदि के लिए एक मार्गदर्शक साधन के रूप में जारी की गई है।

इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जलगुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम बनाने के लिए और नमूना संग्रह, रिपोर्टिंग, निगरानी और पेयजल स्रोतों के पर्यवेक्षण के लिए एक ऑनलाइन जेजेएम - जलगुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) को राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के साथ भागीदारी में विकसित किया गया है और यह पब्लिक डोमेन में निम्न लिंक पर उपलब्ध है:

https://neer.icmr.org.in/website/main.php

यह पोर्टल,यदि परीक्षण किया गया पानी का नमूना दूषित पाया जाता है, तो उपचारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संबंधित अधिकारियों को स्वचालित अलर्ट भी भेजता है।

सभी प्रयोगशालाओं को जनता के लिए खोल दिया गया है। इस पोर्टल पर एक व्यक्ति अपने नमूने को पंजीकृत कर सकता है और पानी के नमूने को नाम मात्र की लागत पर परीक्षण करने और डिजिटल रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए नजदीकी जलगुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला का चुनाव कर सकता है। इस प्रकार, पानी के नमूनों का परीक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में रिपोर्टिंग, उपभोक्ताओं को उनके घरों में आपूर्ति किए जा रहे पानी की गुणवत्ता के बारे में जागरूक करने के लिए सुलभ और आसान बना दिया गया है।

जेजेएम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए डब्ल्यूक्यूएमएंडएस गतिविधियों के लिए अपने वार्षिक आवंटन के 2% तक का उपयोग करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें जलगुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, उपकरण, रसायन, कांच के सामान, उपभोग्य सामग्रियों की खरीद, कुशल श्रमबल, प्रयोगशालाओं की मान्यता/प्रत्यायन आदि शामिल हैं। इस निधि का उपयोग अब राज्यों द्वारा क्षेत्रीय, जिला, उप-मंडल/ब्लॉक स्तरों पर नई प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए निर्माण लागत, सार्वजनिक-निजीसाझेदारी (पीपीपी) या सार्वजनिक-सार्वजनिक भागीदारी के तहत नियोजित प्रयोगशालाओं की एनएबीएल मान्यता के लिए भी किया जा सकता है।

(का.ज्ञा.सं.एच-11013/3/2022-समन्वय/संसद दिनांक: 20.07.2022)

सिफारिश सं. 10 (पैरा सं. 2.11)

<u>एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं</u>

समिति यह भी नोट करती है कि देश में परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं से मान्यता प्राप्त जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष 70 की तुलना में देश में वर्तमान में 444 एनएबीएल मान्यता प्राप्त जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएं हैं। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में 50

प्रतिशत से अधिक प्रयोगशालाएं एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हैं। हालांकि, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और तमिलनाडु जैसे कुछ बड़े राज्यों में अभी भी एनएबीएल के अंतर्गत मान्यता प्राप्त कुल प्रयोगशालाओं की संख्या 10% से भी कम है। समिति ने एनएबीएल मान्यता के लिए विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए यह महसूस करती है कि इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसलिए समिति देश में सभी जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को एनएबीएल से मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता को दृढ़ता से महसूस करती है। उन्होंने विभाग से सभी प्रयोगशालाओं की मान्यता प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर एक निश्चित समय अवधि के भीतर तेज करने का आग्रह किया।

<u>सरकार का उत्तर</u>

यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रयोगशालाएं सुविधाओं से सुसज्जित हैं, राज्यों को कम से कम बुनियादी जलगुणवत्ता महत्व के मानकों के लिए आईएस ओ/ आईईसी 17025 के अनुसार पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यता के लिए और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार धीरे-धीरे अन्य मानकों में अपग्रेड करने की सलाह दी गई है।

अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरूआत के समय केवल 30 एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त प्रयासों से 648 प्रयोगशालाओं (वर्ष 2022-23 में 59) को एनएबीएल मान्यता प्राप्त हुई है। विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ प्रयोगशाला मान्यता/प्रत्यायन की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा और प्रयोगशालाओं के उन्नयन, मान्यता/प्रत्यायन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध कर रहा है।

प्रभावी निगरानी के लिए, वार्षिक कार्य योजना तैयार करते समय, संबंधित राज्य को अनिवार्य रूप से प्रयोगशालाओं की एनएबीएल मान्यता/प्रत्यायन के लिए

योजना तैयार करनी होती है।राज्य ने वर्ष 2022-23 के दौरान 1,429 प्रयोगशालाओं की मान्यता/प्रत्यायन की योजना बनाई है।

(का.ज्ञा.सं.एच-11013/3/2022-समन्वय/संसद दिनांक: 20.07.2022)

सिफारिश सं. 11 (पैरा सं. 2.12)

<u>सामाजिक लेखापरीक्षा प्रणाली</u>

समिति महसूस करती है कि एसबीएम (जी) के कामकाज के संबंध में उचित निगरानी और जमीनी स्तर पर पारदर्शिता बढ़ाने वाले किसी भी तंत्र को प्रोत्साहित करने और गंभीरता से लागू करने की आवश्यकता है। इस संबंध में समिति नोट करती है कि दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में छह माह में एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। ग्राम पंचायतें कार्यक्रम की सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने में सहायता करेंगी और इस अनुसूची का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिले और ब्लॉक जिम्मेदार होंगे। समिति को इस बात से अवगत कराया जाता है कि समय-समय पर जारी की गई सामाजिक लेखा परीक्षा पर नियमावली को एसबीएम (जी) के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करते समय संदर्भित किया जाना है। इसके अलावा, समिति को यह भी बताया गया है कि मणिपुर, मेघालय, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों ने कुछ गांवों में सामाजिक लेखा परीक्षा की है। तथापि, विभाग ने अन्य राज्यों द्वारा अक्षरशः सामाजिक लेखापरीक्षा न कराएजाने के कारणों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। समिति का सुविचारित मत है कि हर छह महीने में एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा किएजानेसंबंधी दिशा-निर्देशों का ऐसा गैर अनुपालन योजना के उस महत्वपूर्ण पहलू की घोर अवहेलना के समान है जिसकाउद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। इसलिए, समिति की सिफारिश है कि यह उचित समय है कि सभी ग्राम पंचायत स्तरों पर एक नियमित और आवधिक सामाजिक लेखापरीक्षाप्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना जाए और योजना की बेहतर पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए इसके निष्कर्षों को नियमित रूप से सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में लाया जाए। समिति ने विभाग से आग्रह किया कि सभी

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित अंतराल पर सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक सलाह जारी करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन हो।

सरकार का उत्तर

पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) द्वारा 14 जुलाई, 2022 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह जारी की गई है, जिसमें कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] की सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने के महत्व पर जोर दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि एसबीएम(जी) दिशा निर्देशों में निर्धारित समय-सारणी का पालन करते हुए सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) में एसबीएम (जी) की सामाजिक लेखा-परीक्षा आयोजित की जाए और योजना की बेहतर पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए निष्कर्षों को जीपी कार्यालय में जनता के लिए प्रदर्शित किया जाए।

(का.ज्ञा.सं.एच-11013/3/2022-समन्वय/संसद दिनांक: 20.07.2022)

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा संख्या 32 देखें)

सिफारिश सं. 14 (पैरा सं. 2.15)

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-जी) के तहत निधियों का कम उपयोग

समिति इस बात को नोट करके चिंतित है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान सं. अ. स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के लिए निधियों के आबंटन की प्रवृत्ति में लगातार गिरावट आई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, ब. अ. के चरण में 9994.10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसे सं.अ. के चरण में घटाकर 6000 /- करोड़ रुपये कर दिया गया था, जबकि विभाग राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को केवल 2100 / - करोड़ रुपये की राशि जारी करने में सक्षम रहा है। विभाग ने कहा है कि राज्यों को उनकी मांगों, निधियों की उपलब्धता और

राज्यों के कार्य-निष्पादन के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं, हालांकि, कोविड-19 के कारण, राज्य चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुमानित लक्ष्यों के अनुसार निधियों का उपयोग नहीं कर पाए हैं। समिति का विचार है कि सं. अ. स्तर पर आबंटनों में लगातार कमी और निधियों का कम उपयोग विभाग की ओर से व्यय प्रबंधन में शिथिलता के अलावा वित्तीय विवेक और आयोजना की कमी को दर्शाता है।निधियों की बार-बार कमी/कम उपयोग पर गंभीरता से विचार करते हुए समिति की इच्छा है कि विभाग को आबंटित निधियों का पूर्णरूपेण उपयोग करने के लिए राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय और सहयोग से संगठित प्रयास करने चाहिए ताकि सं.अ. चरण में आबंटन में कमी कीगुंजाइश को कम किया जा सके और मिशन के अंतर्गत लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त किया जा सके।

<u>सरकार का उत्तर</u>

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यक्रम के तहत आवंटित धन का उपयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से किया जाता है, मार्च-अप्रैल, 2022 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वर्ष 2022-23 के लिए उनकी वार्षिक कार्यान्वयन योजनाओं (एआईपी) पर व्यक्तिगत रूप से विस्तृत चर्चा की गई। राज्यों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी कि उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य तय समय सीमा तक कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने के अनुरूप हों। एआईपीके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुझाव भी दिए गए।

मार्च-अप्रैल 2022 के दौरान केंद्रीय जल मंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए ताकि प्रगति की समीक्षा की जा सके और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जमीनी स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी लाने और 2022-23 के दौरान निधियों के प्रभाव तथा शीघ्र उपयोग के लिए जोर दिया जा सके।

कार्यक्रम के शीघ्र कार्यान्वयन और निधियों के प्रभावी उपयोग के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नोडल विभागों के मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें भी की जा रही हैं।

(का.ज्ञा.सं.एच-11013/3/2022-समन्वय/संसद दिनांक: 20.07.2022)

सिफारिश सं. 16 (पैरा सं. 2.17 और 2.18)

<u>ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम)</u>

समिति नोट करती है कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) स्वच्छ गांवों के निर्माण में एसबीएम (जी) चरण-II के प्रमुख घटकों में से एक है। इस स्कीम के अंतर्गत, यह राज्यों का दायित्व है कि वे एसएलडब्ल्यूएम के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) हस्तक्षेपों को बढ़ावा दें ताकि समुदाय/ग्राम पंचायतों को ऐसी प्रणाली की मांग करने के लिए प्रेरित किया जा सके। राज्यों को पंचायतों को इसप्रणाली केसंचालनऔरअनुरक्षण सुसज्जित करने के लिए क्षमता निर्माण भी प्रदान करना चाहिए। समिति नोट करतीहै कि वार्षिक कार्यान्वयन योजना (एआईपी) के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) अवसंरचना के साथ 2,07,945 गांवों को कवर करने के लक्ष्य की तुलना में, केवल 46,347 गांवों को एसडब्ल्यूएम बुनियादी ढांचे के साथ कवर किया जा सका। इसी प्रकार, तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ 1,82,517 गांवों को कवर किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 21,734 गांवों को ही एलडब्ल्यूएम अवसंरचना के साथ कवर किया गया। विभाग ने समिति को सूचित किया कि एसएलडब्ल्यूएम कार्यकलापों को शुरू करने में शामिल जटिलता के कारण अनुमानित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका। समिति चाहती है कि उसे ग्रामीण गांवों में एसएलडब्ल्यूएम कार्यकलापों के निष्पादन में शामिल जटिलताओं और एसएलडब्ल्यूएम कार्यों को करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए विभाग द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों से

अवगत कराया जाए ताकि इस योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

2.18 समिति विभाग से पूरे वर्ष कार्यशालाएं/जागरूकता अभियान शुरू करने का भी आग्रह करती है ताकि लोगों को अपने गांवों में एसएलडब्ल्यूएम अवसंरचना के निर्माण की मांग करने के लिए प्रेरित किया जा सके क्योंकि यह रोजगार के बड़े पैमाने पर अवसर पैदा करने की क्षमता के अलावा ग्रामीण जनता की स्वच्छता/स्वास्थ्य से संबंधित है।

<u>सरकार का उत्तर</u>

एसबीएम(जी) चरण-दो गांवों को ओडी एफ से ओडीएफ प्लस में बदलने पर केंद्रित है जिसमें ओडीएफ स्थिति की स्थिरता और गांवों में ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) व्यवस्था करना शामिल है। आईएचएचएल के निर्माण की तुलना में, एसएलडब्ल्यूएम कार्यकलाप तकनीकी स्वरूप के हैं और इसमें अनेक कार्य क्षेत्र शामिल हैं जिनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न कचरे की प्रकृति और मात्रा पर विचार करने के बाद उचित योजना और प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है। कार्यक्रम में शामिल मुख्य जटिलताओं का संकेत नीचे दिया गया है: -

- बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन, गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन, ग्रेवाटर प्रबंधन, मल कीचड़ प्रबंधन जैसे एसएलडब्ल्यूएम के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के कार्यकलापों की आयोजना और कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न स्तरों पर बड़ी संख्या में कार्यान्वयन एजेंसियों और अधिकारियों का क्षमता निर्माण।
- भारत की विविध भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन के लिए अलग-अलग प्रौद्योगिकी विकल्पों/समाधानों की आवश्यकता ।
- एसएलडब्ल्यूएम परिसम्पत्तियों के संचालन और रखरखाव के लिए उत्तरदायित्व और वित्तपोषण ।

• शहरों/कस्बों के पास के ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और मल कीचड़ प्रबंधन जैसी कुछ एसएलडब्ल्यूएम कार्यकलापों के लिए, शहरी सुविधाओं के साथ संमिलन पैसा बचाने हेतु ,और दोहराव से बचने के लिए पसंदीदा तरीका है। इसके लिए एकीकृत योजना, क्रियान्वयन और सेवाओं के संचालन के लिए राज्य और जिला स्तर पर शहरी समकक्षों के साथ नियमित समन्वय की आवश्यकता है।

• एसबीएम(जी) के अंतर्गत स्वच्छता कार्यकलापों के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान (जो सीधे ग्रामीण स्थानीय निकायों को जाता है) के साथ वित्त पोषण का सामंजस्य ।

• ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर लोगों का व्यवहार परिवर्तन।

डीडीडब्ल्यूएस ने कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन के लिए राज्यों को उपरोक्त जटिलताओं से निपटने में मदद करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। प्रमुख उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं:

- डीडीडब्ल्यूएस ओडीए फप्लस कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए भागीदार प्रशिक्षण एजेंसियों के माध्यम से मास्टर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मास्टर प्रशिक्षक आगे ब्लॉक/जीपी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। अब तक 11 राज्यों में 1162 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

- क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए, एक इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) आधारित एसबीएम अकादमी (ओडीएफ प्लस पर एक ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम) शुरू किया गया।

- डीडीडब्ल्यूएस द्वारा ओडीएफ प्लस और 15वें एफसी के सशर्त अनुदानों पर राज्य/जिला अधिकारियों के कई प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

- यूएनओपीएस के सहयोग से 26-27 मई, 2022 को ग्रे वाटर प्रबंधन पर रैपिड एक्शन एंड लर्निंग संबंधी एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मिशन निदेशकों, राज्य समन्वयकों, राज्य सलाहकारों, विकास भागीदारों सहित 120 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- यूनिसेफ के सहयोग से 12 जुलाई, 2022 को ओडीएफ प्लस के लिए क्षमता निर्माण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अपर मुख्यसचिवों/प्रधान-सचिवों/सचिवों, मिशन निदेशकों, राज्य समन्वयकों, राज्य सलाहकारों, विकास भागीदारों सहित 150 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- एसबीएम(जी) का ज्ञान प्रबंधन पोर्टल विभिन्न राज्यों में होने वाली सर्वोत्तम परिपाटियों को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।

- देश भर के जिलों और राज्यों के बीच ओडीएफ प्लस के सभी कार्य क्षेत्रों के संबंध में सर्वोत्तम परिपाटियों के ज्ञान को साझा करने की सुविधा के लिए डीडीडब्ल्यूएस ने 26 मार्च, 2022 को एसबीएम(जी) को कार्यान्वित करने वाले अधिकारियों के लिए एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जा रही क्षमता निर्माण कार्यकलापों की निगरानी के लिए डीडीडब्ल्यूएस द्वारा एक क्षमता निर्माण डैशबोर्ड भी विकसित किया गया है।

- राज्यों को आईईसी और क्षमता निर्माण निधियों का उपयोग करके विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाली कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों को काम पर रखने की सलाह दी गई है।

- विभिन्न कार्यक्षेत्रों के संबंध में तकनीकी नियमावली और टूल किट तैयार किए गए हैं और बेहतर समझ के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए हैं।

- डीडीडब्ल्यूएस अनुरोध किए जाने पर राज्यों द्वारा आयोजित मार्ग निर्देशन/कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए व्यक्तियों को उपलब्ध करा रहा है।

- विभिन्न हस्तक्षेपों के संबंध में प्रौद्योगिकी नियमावली डीडीडब्ल्यूएस द्वारा तैयार की गई है और राज्यों को जारी की गई है। विभिन्न तकनीकों की जानकारी के प्रसार के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।

- डीडीडब्ल्यूएस ने उन प्रौद्योगिकियों की खोज के लिए एक स्टार्ट-अपग्रैंड चैलेंज शुरू किया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में एसएलडब्ल्यूएम के लिए टिकाऊ, किफायती, स्केलेबल और उत्तरदायी समाधान में सहायता कर सकें।

- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और मल कीचड़ प्रबंधन के लिए राज्य /जिला स्तर पर दिशा निर्देशन कार्य योजना के लिए डीडीडब्ल्यूएस तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक संयुक्त परामर्शी पत्र जारी किया गया है।

- डीडीडब्ल्यूएस ने ओडीएफ प्लस कार्यकलापों पर 15वें वित्त आयोग के सशर्त अनुदानों के उपयोग के लिए नियमावली जारी की है। पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) के समन्वय से स्वच्छता योजना को ग्राम पंचायत विकास योजना के हिस्से के रूप में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। पीआरआई को प्रशिक्षण दिया गया है ताकि ओडीएफ प्लस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रभावी योजना विकसित की जा सके। सचिव, डीडीडब्ल्यूएस और सचिव, एमओपीआर की सह-अध्यक्षता में राज्यों के साथ 21 जून, 2022 को एक संयुक्त समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई थी।

- विकास योजनाओं में संशोधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई और सभी राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों को प्रेषित की गई। एमओपीआर की सहायता से सभी राज्यों को एसओपी के संबंध में प्रबोधन प्रदान किया गया।

- कार्यक्रम के अंतर्गत तरल कचरा प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई है और इसके लिए सबसे आसान समाधान सोक पिट को बढ़ावा दिया जाता है। 25 अगस्त, 2021 को 'सुजलाम' नामक एक 100 दिवसीय अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में दस लाख सोक पिट के निर्माण पर केंद्रित था। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और समुदायों की अधिक भागीदारी के साथ लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल कर लिया गया और 10.9 लाख से अधिक घरेलू और सामुदायिक स्तर पर सोक पिट का निर्माण किया गया। इस गति को बनाए रखने के लिए 22 मार्च, 2022 (विश्व जल दिवस) को सुजलाम 2.0 का शुभारंभ किया गया। सुजलाम 2.0 के अंतर्गत अब तक करीब 11.5 लाख सोक पिट बनाए जाने की सूचना है। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आईएमआईएस पर लगभग 59 फीसदी गांवों में ग्रे वाटर प्रबंधन के संबंध में आंशिक या पूर्ण कार्य समाप्ति की सूचना दी है।

- अप्रैल-अगस्त 2021 के दौरान ओडीएफ प्लस घटकों पर ग्रामपंचायतों के लिए एक राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुल 4340 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं।

- ओडीएफ प्लस घटकों पर एक राष्ट्रीय वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जो 15 अगस्त से 15 अक्टूबर, 2021 तक चली। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से लगभग 90,000 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं।

- सभी ओडीएफ प्लस घटकों पर 3-4 मिनट की अवधि की लघु फिल्में तैयार और प्रसारित की गईं।
- ग्राम पंचायतों के सभी गांवों को महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों नामत: पंचायत कार्यालय, स्कूल, सामुदायिक हॉल, हाट बाजार आदि के संबंध में ओडीएफ प्लस घटकों पर स्लोगन लिखना सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ओडीएफ की सतत्ता और एसएलडब्ल्यूएम के बारे में ग्रामीण आबादी को जागरूक करने के लिए नियमित सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) तथा अंतर-व्यक्तिगत संचार (आईपीसी) कार्यकलापों को शुरू करने की सलाह दी गई है। डीडीडब्ल्यूएस लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए जन संचार माध्यमों का भी उपयोग करता है।

16 जुलाई, 2022 तक राज्यों की रिपोर्ट के अनुसार, 90,607 गांवों को ठोस कचरा प्रबंधन के साथ कवर किया गया है और 68,127 गांवों को तरल कचरा प्रबंधन के साथ कवर किया गया है। इसके अलावा, 90,080 गांवों ने स्वयं को ओडीएफ प्लस (उदीयमान-48,490; उज्ज्वल-15,191; उत्कृष्ट-26,403) घोषित किया है।

का.ज्ञा.सं.एच-11013/3/2022-समन्वय/संसद दिनांक:20.07.2022

(सिफारिश क्रम सं. 17) (पैराग्राफ सं. 2.19)

<u>सांसद आदर्श ग्राम योजना गांवों में योजनाओं का कार्यान्वयन (एसएजीवाई)</u>

समिति पाती है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना अक्तूबर (एसएजीवाई), 2014 में शुरू की गई थी जिसमें सभी संसद सदस्यों को प्रत्येक वर्ष एक गांव को `आदर्श ग्राम` के रूप में बनाने के उद्देश्य से गोद लेना होता है। तदनुसार, सरकार ने राज्य सरकारों से विभिन्न चालू योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन में एसएजीवाई गांवों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। समिति एसएजीवाई के अंतर्गत गोद लिए गए गांवों की दयनीय स्थिति पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करती है क्योंकि विकास योजनाओं, विशेष रूप से जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन में एसएजीवाई गांवों के लिए कोई

प्राथमिकता नहीं दी गई है और इसके परिणामस्वरूप, एसएजीवाई के अंतर्गत गांवों का वादे के अनुसार समग्र विकास नहीं हो रहा है। अतः समिति विभाग से पुरजोर सिफारिश करती है कि वह एसएजीवाई गांवों में विभाग की दोनों प्रमुख योजनाओं का कार्यान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करे और इस संबंध में राज्यों को आवश्यक निर्देश भी जारी करे।समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

जेजेएम

जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में एसएजीवाई गांवों में नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराना प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वार्षिक कार्य योजना चर्चा और विभिन्न बैठकों के दौरान एसएजीवाई गांवों में नल जल कनेक्शन में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है।

कवरेज को प्राथमिकता देने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय से यह भी अनुरोध किया गया है कि आयोजना और समीक्षा बैठकों के दौरान एसएजीवाई गांवों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए राज्यों के साथ मामला उठाएं और 2024 से पहले हर घर जल हासिल करने के लिए काम में तेजी लाएं। सूचित किए गए अनुसार, एसएजीवाई गांवों में अबतक 17.24 लाख (56.57%) ग्रामीण परिवारों को उनके घर पर नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है।

एसबीएम

एसबीएम(जी) के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को एसएजीवाई गांवों को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। इस संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 26 मार्च, 2021 को सलाह जारी की गई थी। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 13 जून, 2022 को एक और सलाह जारी की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

राज्य में एसबीएम(जी) के कार्यान्वयन के लिए सभी एसएजीवाई गांवों को प्राथमिकता दी जा रही है। एसबीएम(जी) के आईएमआईएस में एसएजीवाई गांवों की प्रगति की अलग से निगरानी का प्रावधान किया गया है। राज्यों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, अब तक कुल 6,295 एसएजीवाई गांवों में से 1358 गांवों को ठोस कचरा प्रबंधन के साथ कवर किया गया है और 899 गांवों को तरल कचरा प्रबंधन के साथ कवर किया गया है। 1,325 गांवों को ओडीएफ प्लस (उदीयमान-770, उज्ज्वल-155, उत्कृष्ट-400) घोषित किया गया है।

का.ज्ञा.सं.एच-11013/3/2022-समन्वय/ संसद दिनांक:20.07.2022

(सिफारिश क्रम सं. 18) पैराग्राफ सं. 2.20

<u>संसद सदस्य की जानकारी और बढ़ी हुई भागीदारी</u>

समिति के ध्यान में यह बात लाई गई है कि संबंधित जिलों के संसद सदस्यों को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में पेयजल संबंधी निर्माण कार्यों/ योजनाओं की आधार शिला रखने/उद्घाटन के समय संबंधित राज्यों द्वारा शामिल नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, जब भी केंद्र/राज्य के नोडल अधिकारी योजना कार्यान्वयन प्राधिकारियों के साथ निरीक्षण/बैठक करते हैं, तो संसद सदस्यों को न तो आमंत्रित किया जाता है और न ही उन्हें कोई सूचना दी जाती है । चूँकि, संसद सदस्यों के पास व्यापक अनुभव होने के कारण ग्रामीण स्तर पर लोगों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं/मुद्दों के बारे में जानकारी होतीहै, इसलिए उन्हें योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण में, विशेष रूप से जेजेएम और एसबीएम (जी) में शामिल किया जाना चाहिए। समिति संसद सदस्यों को केन्द्रीय/राज्य टीमों के निरीक्षण के संबंध में सूचना न दिए जाने और उनके निर्वाचन क्षेत्रों में शुरू किए गए कार्यों के शिलान्यास/उद्घाटन में सदस्यों की सहभागिता न होने की जानकारी को गंभीरता से लेते हुए पुरजोर सिफारिश करती है कि विभाग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की तर्ज पर दिशा-निर्देश/अनुदेश तैयार करे, जिसके अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र के सांसद को नए कार्यों / परियोजनाओं की आधार शिला रखने के कार्यक्रम में आमंत्रित किया

जाता है । समिति यह भी चाहती है कि संसद सदस्यों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए अपने जिले में योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए किए गए निरीक्षणों/बैठकों के बारे में हमेशा समय पर सूचित किया जाए।

सरकार का उत्तर

जेजेएम

इस विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 29.01.2021 के पत्र के माध्यम से एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें जल जीवन मिशन की योजना और कार्यान्वयन में माननीय संसद सदस्यों की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया गया था और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें और इसे 'जन आंदोलन' बनाएं। इसके अलावा, दिनांक 03.08.2021, 27.10.2021, 20.12.2021 और 25.02.2022 के अनुस्मारक के माध्यम से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि माननीय संसद सदस्यों के लिए निम्नलिखित प्रावधान किये जाएं:

i. जलापूर्ति योजनाओं के लिए जिला कार्य योजना तैयार करते समय परामर्श किया जाए और सभी डीडब्ल्यूएसएम बैठकों में 'विशेष आमंत्रित' के रूप में भी आमंत्रित किया जाए;
ii. भूमि पूजन, योजनाओं के उदघाटन/कार्य प्रारंभ आदि के लिए आयोजित विभिन्न आधिकारिक समारोहों में आमंत्रित किया जाए, जिसके लिए जिला/मंडल स्तर के अधिकारियों को संवेदनशील बनाया जाए।

इसके अलावा, यह मामला राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समय-समय पर होने वाली विभिन्न बैठकों में भी उठाया गया है।

एसबीएम

जैसा कि एसबीएम(जी) चरण- दो कार्य संबंधी दिशा निर्देशों में दिया गया है, जिले के सभी संसद सदस्य एसबीएम (जी) के जिला मिशन/समिति के सदस्य हैं जो कार्यक्रम कार्यान्वयन की ब्लॉक और जीपी स्तर की नियमित समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं। डीडीडब्ल्यूएस द्वारा 4 जुलाई, 2022 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक एडवाइजरी जारी की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा

सके कि जिला मिशन/एसबीएम(जी) की समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं और जिलों के संसद सदस्यों को निरपवाद रूप से ऐसी सभी बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी जिला स्तर के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने की सलाह दी गई है कि संसद सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कार्यों, यदि कोई हो, के शिलान्यास/उद्घाटन के दौरान भी आमंत्रित किया जा सकता है।

एसबीएम (जी) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की समीक्षा में भी शामिल है, जिसकी अध्यक्षता संसद सदस्य करते हैं।

का.ज्ञा.सं.एच-11013/3/2022-समन्वय/संसद दिनांक:20.07.2022

अध्याय - तीन

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके सम्बन्ध में समिति सरकार के उत्तरों के देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

शून्य

अध्याय - चार

सिफारिशें / टिप्पणियां , जिनके सम्बन्ध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं

(सिफारिश क्रम सं. 1) पैराग्राफ सं. 2.1 और 2.2

जल जीवन मिशन के बजटीय प्रावधान का विश्लेषण

समिति नोट करती है कि जल जीवन मिशन (जेजेएम) की घोषणा अगस्त, 2019 में की गई थी ताकि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाया जा सके, जिसे राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में एक मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। आज की तिथि के अनुसार , 19.18 करोड़ में से, 8.96 करोड़ (46.48%) ग्रामीण परिवारों को अपने घरों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो रही है। समिति को यह जानकर खुशी हो रही है कि हरियाणा, तेलंगाना, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा एंड नागर हवेली और पुद्दुचेरी की राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने घरों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। समिति इस बात की भी सराहना करती है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों ने 90% से अधिक घरेलू कवरेज प्राप्त कर लिया है और बहुत जल्द शत-प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने की उम्मीद है। तथापि, समिति उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु जैसे बडे राज्यों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करती है जो अपने परिवारों को 40% से कम एफएचटीसी प्रदान कर रहे हैं। इसलिए, समिति की इच्छा है कि विभाग इन राज्य सरकारों पर निर्धारित लक्ष्य वर्ष को ध्यान में रखते हुए सभी घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए दबाव डाले।

समिति यह भी पाती है कि पेयजल और स्वच्छता विभाग की 91,258 करोड़ रुपये की राशि के आवंटन की मांग की तुलना में, वर्ष 2022-23 के लिए केवल 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लगभग 53.52% ग्रामीण परिवारों को अभी भी विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) की आवश्यकता है, वर्ष 2022-23 के लिए जेजेएम के अंतर्गत आवंटन अपर्याप्त प्रतीत होता है क्योंकि प्रदान की गई बजटीय सहायता प्रारंभिक मांग की तुलना में 31,258 करोड़ रुपये कम है। इसलिए समिति विभाग से अनुरोध करती है कि वह आबंटित निधियों का यथाशीघ्र उपयोग करने का प्रयास करे ताकि उनके पास सं. अ. स्तर पर अतिरिक्त निधियों की मांग करने का पर्याप्त औचित्य हो।

सरकार का उत्तर

विभाग ने देश भर में 9.08 करोड़ (95%) से अधिक शेष परिवारों (एचएच) वाले 13 प्रमुख राज्यों की पहचान की है और शेष परिवारों के कवरेज को प्राथमिकता देने के लिए उन राज्यों को नियमित रूप से कहा जा रहा है। जेजेएम के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा करने, सामना की जा रही चुनौतियों की पहचान करने, अनुभवों और सर्वोत्तम परिपाटियों को साझा करने आदि के लिए ओडिशा में इन 13 राज्यों के साथ सचिव (डीडीड

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच वर्ष 2022-23 के लिए निधि का आवंटन पूरा कर लिया गया है। अब तक, चालू वित्तीय वर्ष में अर्थात अप्रैल और मई 2022 में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 5,664.85 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग करने की सूचना दी है।

(का.ज्ञा.सं.एच-11013/3/2022-समन्वय/संसद दिनांक:20.07.2022)

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा सं. 8 देखें)

सिफारिश सं. 5 (पैरा सं. 2.6)

स्थानीय समुदायों से प्रयोक्ता प्रभार शुल्क को माफ करना

समिति नोट करती है कि जेजेएम के मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत ग्राम पंचायत और अथवा वीडब्ल्यूएससी/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा गांवों में कार्यान्वित की जाने वाली ग्राम पाइप द्वारा जलापूर्ति अवसंरचना और इससे संबंधित संसाधनों के विकास के लिए, स्थानीय समुदायों के पहाड़ी/वनाच्छादित क्षेत्रों, पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों और 50% से अधिक अनुसूचित जातियों और/या अनुसूचित जनजातियों की आबादी वाले गांवों में पूंजीगत लागत के लिए 5% अंशदान नकद और या सामान या श्रम में करना है और अन्य गांवों के मामले में इसी तरह पूंजीगत लागत का 10% योगदान करना है। जल आपूर्ति योजना शुरू करने के लिए कम से कम 80 प्रतिशत परिवार से सामुदायिक अंशदान की रजामंदी पूर्वापेक्षित है। तथापि, ग्राम पंचायत और/या इनकी उप-समितियां उन गरीब, दुर्बल, दिव्यांगजन या विधवा लोगों को व्यक्तिगत अंशदान करने से छूट देने पर विचार कर सकती हैं, जिनकी आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं होना है। इस संबंध में, समिति पाती है कि पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में पूंजीगत लागत के लिए अनिवार्य सामुदायिक अंशदान की ऐसी कोई शर्त नहीं थी। समिति का सुविचारित मत है कि चूंकि ग्रामीण आबादी को पानी उपलब्ध कराना न केवल एक बुनियादी आवश्यकता है बल्कि भारत जैसे कल्याणकारी राज्य का एक अभिन्न कार्य भी है, इसलिए समुदाय द्वारा कोई भी अनिवार्य योगदान शायद हर घर को पानी कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयासों को कमजोर करेगा। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण जनता की खराब आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए समिति सिफारिश करती है कि विभाग को जल आपूर्ति अवसंरचना और इससे संबंधित संसाधनके विकास के लिए पूंजीगत लागत के सामुदायिक अंशदान को माफ करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। समिति चाहती है कि इस संबंध में विभाग द्वारा उठाए गए कदमों /पहलों से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत ग्रामीण लोगों के बीच 'स्वामित्व की भावना' पैदा करने के लिए, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, वन/पहाड़ी क्षेत्रों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों के मामले में गांव के बुनियादी ढांचे की लागत के 5% की सीमा तक और शेष क्षेत्रों में 10% सामुदायिक योगदान का प्रावधान है।

जेजेएम के तहत, समुदाय की इच्छा और गांव के कम से कम 80% परिवारों का योगदान जलापूर्ति योजना शुरू करने के लिए एक पूर्वापेक्षा है। सामुदायिक योगदान नकद और /या वस्तु और/या श्रम के रूप में हो सकता है। इसके अलावा, ग्राम पंचायत और /या इसकी उप-समिति, अर्थात ग्राम जल और स्वच्छता समिति / पानी समिति / उपयोगकर्ता समूह, आदि गरीब, दुर्बल, दिव्यांग या बिना किसी स्थिर आय के स्रोत वाली विधवा को व्यक्तिगत योगदान को छूट दे सकते हैं।

इसके अलावा, योजना के सफल संचालन के बाद, समुदाय को गांव के बुनियादी ढांचे की लागत के 10% के साथ पुरस्कृत करने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, जो बड़े ब्रेकडाउन आदि के कारण किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए आवर्ती निधि के रूप में काम करेगा ताकि पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

(का.ज्ञा.सं.एच-11013/3/2022-समन्वय/संसद दिनांक:20.07.2022)

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा सं. 20 देखें)

सिफारिश सं. 7 (पैरा सं. 2.8)

जेजेएम के तहत पाइप लाइन डालने के बाद भी सड़क मरम्मत कार्य अधूरा रहना

समिति को यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के तहत ग्रामीण जनता को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश में बड़े पैमाने पर पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। तथापि, समिति ने चिंता के साथ नोट किया कि कई राज्यों में पानी की पाइपलाइन बिछाने के बाद, संबंधित प्राधिकारियों की लापरवाही और उदासीनरवैये के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों सहीरूपसेठीक या उनकीमरम्मत नहीं की जारही है। क्षतिग्रस्त सड़कों को अक्सर मिट्टी से भर दिया जाता है या उन्हें उनके मूल स्वरूप में वापस लाने के बजाय खुला रखा जाता है। यह न केवल देखनेमेंभद्दालगता है बल्कि यात्रियों के लिए बाधाएं/परेशानियां भी पैदा करता है। ग्रामीणों को दिन-प्रतिदिन आवागमन कीकठिनाईसे लेकर दुर्घटनाओं के संभावित खतरे, विशेषकर रात में, जैसीकई समस्याओं का सामना करना पड़ता

है। इसलिए समिति विभाग से इस मामले को गंभीरता से लेने और संबंधित राज्यों/प्राधिकारियों को परामर्श जारी करने का आग्रह करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ठेकेदार/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पाइप लाइन डालने के तुरंत बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की जाए।

सरकार का उत्तर

ग्रामीणों को किसी भी तरह की कठिनाई से बचाने के लिए, विभाग इस मुद्दे को राज्यों के साथ हर स्तर पर उठा रहा है। इसके अलावा, राज्यों को दिनांक 22.11.2021 के पत्र और दिनांक 17.03.2022 और 27.05.2022 के अनुस्मारक के माध्यम से सड़कों/राजमार्गों जैसे बुनियादी ढांचे को न्यूनतम नुकसान के साथ ग्रामीण जल योजनाओं को शुरू करने और जलापूर्ति प्रणालियों के लिए पाइपलाइन बिछाने के दौरान हुए नुकसान के मामले में सड़कों/राजमार्गों को तुरंत बहाल करने की सलाह दी गई है।

(का.ज्ञा.सं.एच-11013/3/2022-समन्वय/संसद दिनांक20.07.2022)

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा सं. 26 देखें)

सिफारिश सं. 12 (पैरा सं. 2.13)

तृतीय पक्ष निरीक्षण

समिति नोट करती है कि जेजेएम के अंतर्गत, राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) ने कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए तृतीय पक्ष सत्यापन एजेंसियों को पैनल में रखा है। विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से, समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 14 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने तीसरे पक्ष की निरीक्षण एजेंसियों के पैनल के विवरण की सूचना नहीं दी है। इसके अलावा, राज्यों द्वारा नियुक्त निरीक्षण एजेंसियों की संख्या राज्यों के आकार की तुलना में बहुत कम है। अत: समिति विभाग से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिक से अधिक तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों को सूचीबद्ध करने का निर्देश देने का आग्रह करती है, ताकि एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्यों की सत्यता का पता लगाया जा सके। समिति इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा डेटा की गैर-रिपोर्टिंग के कारणों से भी अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

जेजेएम के तहत सृजित परिसंपत्तियों के तीसरे पक्ष के निरीक्षण के लिए प्रावधान किए गए हैं। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशनों को तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों को पैनल में शामिल करने का अधिकार दिया गया है। अबतक, सूचित किए गए अनुसार,28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 147 तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों को कार्य सौंपा गया है।

(का.ज्ञा.सं.एच-11013/3/2022-समन्वय/संसद दिनांक:20.07.2022)

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा सं. 35 देखें।)

सिफारिश सं. 13 (पैरा सं. 2.14)

राजस्थान के गंगानगर जिले में पानी के दूषित होने का मामला

पानी का दूषित होना एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि इसका सीधा संबंध प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के स्वास्थ्य से है। समस्या बेहद चिंताजनक है क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में कैंसर के मामलों की संख्या खतरनाक रूप से बढ़ रही है। समिति ने अपनी पिछली रिपोर्टों में विशेष रूप से राजस्थान के गंगानगर जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों में जल प्रदूषण के मुद्दे को भी रेखांकित किया और ग्रामीण बस्तियों में स्वच्छ एवं पीने योग्य पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर जल शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के लिए विभाग से राजस्थान राज्य सरकार के साथ मामला उठाने का आग्रह किया। तथापि, समिति इस बात को लेकर चिंतित है कि गंगानगर जिले में प्रभावित लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। अतः समिति इस बात को दोहराती है कि विभाग को इस मामले को राजस्थान सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर उठाना चाहिए, ताकि गंगानगर जिले के निवासियों को जल्द से जल्द स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

सरकार का उत्तर

राजस्थान राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, गंगा नगर जिले के 2,834 गांवों के लिए नहर आधारित जलस्रोतों का उपयोग जलापूर्ति योजनाओं के लिए किया गया है और 1,076 गांवों को गंगा नहर प्रणाली से जल स्रोतों के साथ जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से कवर किया गया है। गांवों में आपूर्ति करने से पहले नहर आधारित प्रणाली से सादे पानी को शुद्ध और क्लोरीन युक्त किया जाता है। इसके अलावा, सादे पानी के नमूनों का समय-समय पर रासायनिक परीक्षण किया जाता है और नवंबर, 2021 में किए गए नवीनतम रासायनिक परीक्षण के परिणामों से पता चला है कि रासायनिक संदूषक अनुमेय सीमा के अंतर्गत हैं।

इसके अलावा, इस विभाग ने पंजाब राज्य, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग से गंगा नहर में औद्योगिक कचरे के बहिस्राव से बचने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

(का.ज्ञा.सं.एच-11013/3/2022-समन्वय/संसद दिनांक:20.07.2022)

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा सं. 38 देखें)

सिफारिश सं. 15 (पैरा सं. 2.16)

एसबीएम (जी) के तहत यूनिट सहायता में वृद्धि

समिति नोट करती है कि वर्तमान में एसबीएम (जी) के तहत शौचालयों के निर्माण के लिए गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के चिन्हित परिवारों को 12,000/- रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। समिति का यह सुविचारित मत है कि मौजूदा प्रति यूनिट सहायता पूरीतरहसे अपर्याप्त है और शौचालयों के निर्माण की वास्तविक लागत के करीब कहीं नहीं है, भले ही कोई लाभार्थी अपनीमेहनतसेउसेबनाए। समिति का मत है कि शौचालयों की निर्माण सामग्री की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहन में समानुपातिक वृद्धि की जाए। अतः, समिति विभाग से यह पुरजोर सिफारिश करतीहै कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के चिन्हित परिवारों के लिए

शौचालयों के निर्माण हेतु प्रति यूनिट सहायता को 12,000/- रुपए की मौजूदा दर से बढ़ाकर 20,000/- रुपए करने की व्यवहार्यता पर विचार करे।

सरकार का उत्तर

व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) के निर्माण के लिए 12000/- रुपये की प्रोत्साहन राशि में से पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों और हिमालयी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली केंद्रीय हिस्सेदारी राशि 10,800 रुपये और शेष राज्यों में यह 7,200 रुपये है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों को न्यूनतम हिस्सा 1,200 रुपये और शेष राज्यों को न्यूनतम हिस्सा 4,800 रुपये प्रदान करना होगा। राज्य अतिरिक्त धनराशि प्रदान करके उच्च राज्य हिस्सा निधि प्रदान कर सकते हैं। शौचालयों के स्वामित्व और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लाभार्थियों को अपना हिस्सा जोड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(का.ज्ञा.सं.एच-11013/3/2022-समन्वय/संसद दिनांक:20.07.2022)

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा सं. 41 देखें)

अध्याय – पाँच

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

शून्य

नई दिल्ली
07 फ़रवरी, 2023
18 माघ,1944 (शक)

परबतभाई सवाभाई पटेल,
सभापति
जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

अनुबंध – I

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की बुधवार, 11 जनवरी, 2023 को हुई बैठक का कार्यवाही

सारांश

समिति की बैठक 1500 बजे से 1700 बजे तक समिति कक्ष, 'डी' , भूतल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल - सभापति

सदस्य

लोकसभा

2. श्री विजय बघेल
3. श्री सुनील कुमार
4. श्री हसमुखभाई एस.पटेल
5. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
6. श्री शिवकुमार.सी. उदासी

राज्य सभा

7. श्री अनिल प्रसाद हेगडे
8. श्री अरुण सिंह
9. संत बलबीर सिंह
10. श्री प्रमोद तिवारी

सचिवालय

1. श्री चंदर मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री अजय कुमार सूद - निदेशक
3. श्री राम लाल यादव - अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया जो कि जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) की अनुदान मांगों (2022-23) पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर मसौदा रिपोर्ट पर विचार करने और उसे अपनाने के लिए बुलाई गई थी ।

3. *** *** *** *** *** ***
4. *** *** *** *** *** ***
5. *** *** *** *** *** ***

6. तत्पश्चात, समिति ने जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) की अनुदान मांगों (2022-23) पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर मसौदा रिपोर्ट पर विचारार्थ चर्चा शुरू की। कुछेक विचार-विमर्श के बाद समिति ने उक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया और अगले सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में अपनी ओर से रिपोर्ट पेश करने के लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया।

7. समिति की बैठक की कार्यवाही के शब्दशः अभिलेख की एक प्रति रखी गई है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

<u>अनुबंध-दो</u>

[*देखिए प्राक्कथन का पैरा 4*]

समिति के सोलहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/ टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

एक.	सिफारिशों की कुल संख्या	18
दो.	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है: क्र. सं. 2,3,4,6,8,9,10,11,14,16,17 और 18	कुल-12 प्रतिशत- 66.67%
तीन.	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती: क्र. सं. शून्य	कुल-शून्य प्रतिशत-0%
चार.	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है: क्र. सं. 1,5,7,12,13 और15	कुल-06 प्रतिशत- 33.33%
पांच.	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं: क्र.सं .शून्य	कुल -शून्य प्रतिशत - 0%